पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2023 ई0 (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	517–524	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	197–237	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	387–416	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 112/VIII-1/23–147(श्रम)/2001–राज्यपाल, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 1979 (अधिनियम संख्या–XXX वर्ष 1979) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के स्पष्टीकरण सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 1745(1)/VIII/14–56(श्रम)/2014, दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 16 एवं इस धारा के प्रयोजनार्थ अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित अधिकारियों को अपनी क्षेत्राधिकारिता हेतु "विशिष्ट प्राधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
2	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद नैनीताल।
3	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद ऊधमसिंह नगर।
4	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी।
5	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद हरिद्वार।
6	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा।	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
7	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़।	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
8	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश।	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश।
9	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार।	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 112/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.112/VIII-1/23-147-Labour/2001--In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Service-Condition) Act, 1979 (Act No.- XXX of the year 1979) (as prevalent in the State of Uttarakhand) and by the clarification, in this regard, read with Section-21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor by superseding the earlier notification No. 1745(1)/VIII/14-56(Labour)/2014, dated: February 10, 2014, pleased to appoint the Officers as "Authorities" mentioned in column-2 of the schedule below, to exercise the powers conferred by Section-16 of the said Act, for the purposes of this section, in their respective jurisdiction mentioned in column-3 of the schedule below.:-

Schedule

S.No.	Designation of the Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	All Assistant Labour Commissioner posted in the office of Labour Commissioner, Uttarakhand	Whole state of Uttarakhand.
2	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital
3	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar
4	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun and Uttarkashi
5	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar
6	Assistant Labour Commissioner, Almora	District Almora and Bageshwar
7	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh	District Pithoragarh and Champawat
8	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh.	District Tehri Garhwal and Rishikesh
9	Assistant Labour Commissioner, Kotdwar.	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 113/VIII-1/23–147(श्रम)/2001—मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियम, 1962) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 की उपधारा (घ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल श्रम विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ–3 में उनके सामने उल्लिखित क्षेत्रों के लिए "नियत प्राधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
2	अपर श्रम आयुक्त देहरादून।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
3	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
4	उप श्रम आयुक्त, देहरादून।	जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।
5	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल
6	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी।	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
7	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर।	जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़।
8	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद नैनीताल।
9	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद ऊधमसिंह नगर।
10	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी।
11	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद हरिद्वार।
12	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
13	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़।	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
14	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश।	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश।
15	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार।	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली।
16	जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
17	जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	—तदैव—

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 113/VIII-1/23-147-Labour/ 2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.113/VIII-1/23-147-Labour/2001–In exercise of the powers conferred by Sub-section (d) of Section 2 of the Uttarakhand (Motor Transport Workers Rules, 1962) Adaptation and Modification Order, 2002 made under Sub-section (2) of Section 3 of the Motor Transport Workers Act, 1961 (Act No. 27 of 1961) read with Section-21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor appoints the Officers posted in the State of Uttarakhand under Labour Department mentioned in column-2 as "Prescribed Authorities" for the areas mentioned against them in column-3 of the schedule given below:-

Schedule

S.No.	Designation of the Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Labour Commissioner	Whole state of Uttarakhand.
2	Additional Labour Commissioner	Whole state of Uttarakhand.
3	All Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners posted in the office of Labour Commissioner	Whole state of Uttarakhand.
4	Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi
5	Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal
6	Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital, Almora and Bageshwar
7	Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh
8	Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital
9	Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar
10	Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun and Uttarkashi
11	Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar
12	Assistant Labour Commissioner, Almora	District Almora and Bageshwar
13	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh	District Pauri Garhwal and Champawat
14	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh	District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh
15	Assistant Labour Commissioner, Kotdwara	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli
16	Labour enforcement Officers posted in departmental offices of Dehradun, Uttarkashi, Tehri Garhwal, Chamoli, Rudraprayag, Pauri Garhwal and Haridwar districts.	Under their respective jurisdiction.
17	Labour enforcement officers posted in departmental offices of District Nainital, Pithoragarh, Champawat, Almora, Bageshwar and Udham Singh Nagar	As Above

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 114/VIII-1/23–147(श्रम)/2001–राज्यपाल, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1955) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न औद्योगिक विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित श्रम न्यायालयों को सन्दर्भित करने के लिए निम्नवत् तालिका के स्तम्भ–2 में वर्णित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में वर्णित अधिकारिता के क्षेत्र हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
2	अपर श्रम आयुक्त, देहरादून।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
3	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड में तैनात समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
4	उप श्रम आयुक्त, देहरादून।	जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।
5	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
6	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी।	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
7	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर।	जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़।
8	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद नैनीताल।
9	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद ऊधमसिंह नगर।
10	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी।
11	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद हरिद्वार।
12	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा।	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
13	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़।	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
14	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश।	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश।
15	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार।	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 114/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.114/VIII-1/23-147-Labour/2001–In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 17 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (Act No. 45 of 1955) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor is pleased to authorize, the Officers mentioned in column-2 of the Schedule below to refer industrial disputes arising under the Industrial Disputes Act, 1947 (Adaptation and Modification Order 2002) to the Labour Courts constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 for their areas of Jurisdiction mentioned against their names in column-3 of the schedule below:-

Schedule

S.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Labour Commissioner	Whole state of Uttarakhand.
2	Additional Labour Commissioner	Whole state of Uttarakhand.
3	All Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners posted in the office of Labour Commissioner	Whole state of Uttarakhand.
4	Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi
5	Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal
6	Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital, Almora and Bageshwar
7	Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh
8	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital
9	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar
10	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun and Uttarkashi
11	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar
12	Assistant Labour Commissioner, Almora	District Almora and Bageshwar
13	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh	District Pithoragarh and Champawat
14	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh	District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh
15	Assistant Labour Commissioner, Kotdwar	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

29 मई, 2023 ई0

संख्या 14/नो0एम0/XXXVI-A-1/2023-13 नो0एम0/2011 टी0सी0–श्री राज्यपाल, नोटेरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदीश सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 29–05–2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटेरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्देश देते हैं कि श्री जगदीश सिह का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाए।

आज्ञा से,
नरेन्द्र दत्त,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 14/No-M/XXXVI-A-1/2023-13 No.-M/2011 TC Dated- May 29, 2023.

NOTIFICATION

Appointment

May 29, 2023

No. 14/No-M/XXXVI-A-1/2023-13 No.-M/2011 TC--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Jagdish Singh, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 29-05-2023 for Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Jagdish Singh be entered in the Register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,
NARENDRA DUTT,
Secretary, Law-cum-L.R.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/236–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2023 ई0 (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE (C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN

NOTIFICATION NO 01/2023 (M)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

June 02, 2023

Letter No. 15 P/Store/25/2022/19875--In exercise of the power delegated in G.O. No 712/XXVIII-3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of *Annexure B* for name of makes unless otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.

2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.

3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

4. **Delivery Schedule**
The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

5. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be 3/5th (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit.

6. Packing of medicines/drugs/vaccines

6.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.

6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

7. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

8. Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches.

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

8.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

9. **Payments**

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

10. **Delays in Supplier's performance**

10.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

11. **Liquidated damages**

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

12. **Force majeure**

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

(B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

(C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.

14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.

15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.

16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.

17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.

18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.

19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.

20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawn to it.

21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.
22. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.

23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of GoI and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply

    a. Exports by the Contractor.
    b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.

24. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.

25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.

26. Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.

27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.

28. In the event of the prices being gone dawn the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.

29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)

30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.

31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

NOTIFICATION No. 01/2023 [M]

Enclosure of Notification no. 15P/Store/25/2022/19875 Dated 02 June, 2023

ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s Apple Formulations Pvt. Ltd, Plot no. 208, Kh. No. 445, Dehradun Road, Kishanpur, Roorkee- 247667 Uttarakhand	Tel no.:9536306161, 9536906161, 9719600002, 9359208664 e-mail: appleformulation@gmail.com, rkc.apple@gmail.com
2	M/s Biodeal Pharmaceuticals Pvt. Ltd., DLF Tower B, 7th Floor, 710-712, Jasola District Centre, New Delhi- 110025	Tel no.:011-46106868169 e-mail: info@biodealpharma.com
3	M/s Cipla Limited, Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013	Tel no..: 91-1795663410, 91-22-24826000 e-mail: contactus@cipla.com, aksingh@cipla.com
4	M/s Cotec Healthcare Pvt. Ltd. N.H. No. 74, Roorkee, Dehradun Highway, Kishanpur, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand	Tel no.:7454801520, 9956382331 e-mail: office@cotecpharma.in, shivalikdrug@gmail.com
5	M/s Daffohils Laboratories Pvt. Ltd., F 109-110,,UPSIC, Industrial Area, Central Hope Town, Selaqui, Dehradun 248001	Tel no.: 91-9412054069, 9411723646 e-mail: daffohils@gmail.com
6	M/s Emcure Pharmaceuticals Ltd, Emcure House, T-184, M.I.D.C. Bhosari, Pune 411025.	Tel no.: 91-20-35010000, 40700000 e-mail: corporate@emcure.in
7	M/s Higgs Healthcare Khasara no 480/1, Bhatolikalan, Baddi (HP)	Tel no.: 91 1795292100, 7807833317 e-mail: higgshealthcare@gmail.com
8	M/s Inventia Healthcare Limited, Unit 703 and 704, 7th Floor, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri (East) Mumbai 400 069., Maharashtra	Tel no.:912267163000 e-mail:
9	M/s Lupin Limited 1/47, Prag Narian Road, Lucknow- 226001.	Tel no.:0522-4095301 91-22-66402323 e-mail: yuvrajbhatnagar@lupin.com
10	M/s Macleods Pharmaceuticals Limited,Atlanta Arcade Church Road,Near Leela Hotel Andheri Kurla Road,Andheri East, Mumbai	Tel no.:022-66762800, 0120-4695675, 9412206937, 7208993479 e-mail: tenders@macleodspharma.com, customercare@macleodspharma.com

11	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.,128-5, Swiss House, Vishwas Nagar, Delhi- 110 032	Tele:91-11-22380624, 22384352 e-mail: medipoldel@gmail.com
12	M/s Rivpra Formulation Pvt. Ltd, Office no. 1008., 11th Floor, KM Trade Tower, (Radisson Blu) H-3, Kaushambi, Ghaziabad-201010	Tele: 0120-4277177, 9205981454/55/56 e-mail: info@rivpraformulation.com
13	M/s Swaroop Pharmaceuticals Pvt. Ltd, A-10 Tala Nagari Industrial Area, Aligarh 202001, U.P.	Tele: e-mail: info@sppl.in
14	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd, Synokem House,14/486, Sunder Vihar, Outer Ring Road, Paschim Vihar, New Delhi-110086	Tel no.:011- 25271800, 25271809 Fax: 011- 25287839 e-mail:
15	M/s Zee Laboratories Ltd, Uchaini GT Road, Karnal- 132001	Tel no.:91-184-2267310, 2267312 91-011-45074746, 45087722 e-mails: info@zeelab.co.in, sales@zeelab.co.in
16	M/s Novo Nordisk India Pvt. ltd, Plot no. 32, 47-50, EPIP Area, Whitefield, Bangalore- 560 066	Tel no.:91-8040303200 e-mail: vscd@novonordisk.com

ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification no. 15P/Store/25/2022/ 19875 Dated: 02 June, 2023

List of medicines/drugs/surgical items/suturs items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM 02-06-2023 to 01-06-2025

Sl.No	Description of Work / Item(s)	Pack size	Bidder Name	Rate per unit/tab Without Tax	Tax/Duties (INR)	Rate per unit/tab With Tax	Consignee/State Drug Ware House
1	Mefenemic 50mg + Paracetamol 125mg syrup	bottle	Apple Formulations Pvt.Ltd.	7.49	0.9	8.39	F.O.R
2	Mefenemic 100mg + Paracetamol 250mg syrup	bottle	Apple Formulations Pvt.Ltd.	9.1	1.1	10.2	F.O.R
3	Levosalbutamol syp 1mg	100 ml Bottle	Apple Formulations Pvt.Ltd.	9.2	1.1	10.3	F.O.R
4	Ambroxol + Guaiphenesine + Levosalbutamol Drop	phial	Apple Formulations Pvt.Ltd.	7.4	0.88	8.28	F.O.R
5	Fluticasone Fuorate nasal spray	per	BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.	54.88	6.58	61.46	F.O.R
6	Azelastine nasal spray	per	BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.	51.52	6.18	57.70	F.O.R
7	Thyroxine Sodium Tablets 50 mcg	100 Tab	BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.	21.28	2.55	23.83	F.O.R
8	Thyroxine Sodium Tablets 100 mcg	100 Tab	BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.	24.77	2.97	27.74	F.O.R
9	SALMETEROL 25 mcg + FLUTICASONE PROPIONATE 250 mcg dose counter inhaler	per	Cipla Ltd	92	11.04	103.04	F.O.R
10	FORMOTEROL FUMARATE 20 mcg + BUDESONIDE 0.5 mg respules	per	Cipla Ltd	16.65	2	18.65	F.O.R
11	FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 200 mcg dose counter inhaler	per	Cipla Ltd	81.9	9.82	91.72	F.O.R
12	FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 400 mcg dose counter inhaler	per	Cipla Ltd	86.43	10.38	96.81	F.O.R
13	Fluticasone 250 + Formoterol 6 mcg dose counter inhaler	per	Cipla Ltd	140.8	16.9	157.7	F.O.R
14	Ipratropium bromide 500 mcg + levosalbitamol 125 mg repsule	per	Cipla Ltd	3.65	0.44	4.09	F.O.R
15	Brofenac eye drop 0.9%	5ml	COTEC HEALTHCARE PVT. LTD.	10	1.2	11.2	F.O.R
16	Predinisolone eye drop	phial	COTEC HEALTHCARE PVT. LTD.	10.5	1.26	11.76	F.O.R
17	Ketoconazole lotion IP 2% w/v	tube	DAFFOHILS LABORATORIES LTD	18.96	2.28	21.24	F.O.R
18	Povidione Iodine IP 2%w/v (0.2% w/v available iodine) absolute alcohol contents 8.38% v/v in a flavoured aqueous base	100 ml Bottle	DAFFOHILS LABORATORIES LTD	13.99	1.68	15.67	F.O.R

19	Iron Ferric Caboxymaltose 500 mg Inj.	amp	Emcure Pharmaceuticals Ltd.	1330	159.6	1489.6	F.O.R
20	Dextrose 5% Inj. FFS	500 ml bottle	Higgs Healthcare	16.1	1.93	18.03	F.O.R
21	Sodium Chloride Inj. FFS	500 ml bottle	Higgs Healthcare	14.48	1.74	16.22	F.O.R
22	Sodium Chloride & Dextrose Inj 0.9% + 5%	500 ml bottle	Higgs Healthcare	16.25	1.95	18.2	F.O.R
23	Pregabalin SR 75 mg +. Methylcobalamin 1500 mcg tab	1x10	Inventia Healthcare Pvt Ltd	1.45	0.17	1.62	F.O.R
24	FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 200 mcg dose rotocap	per	LUPIN LIMITED	1.1	0.12	1.22	F.O.R
25	TIOTROPIUM 9 mcg + FORMOTEROL 6 + CICLESONIDE 200 mcg inhaler	per	LUPIN LIMITED	389	46.68	435.68	F.O.R
26	FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 400 mcg dose rotocap	per	M/s. Macleods Pharmaceuticals Limited	1.43	0.18	1.61	F.O.R
27	Cefixime Syrup 50 mg/5 ml	30 ml Bottle	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	9.87	1.18	11.05	F.O.R
28	Xylometazolin nasal spray	per	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	4.88	0.58	5.46	F.O.R
29	Oxcarbazipine 300 mg tab	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	5.59	0.68	6.27	F.O.R
30	Phenytoin Sodium Tab. 100mg	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	0.68	0.08	0.76	F.O.R
31	Clindamycin 300 mg tab	1x10	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	3.35	0.4	3.75	F.O.R
32	Cefpodoxime + Clauvlunate 200mg+125mg tab	1x10	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	6.96	0.84	7.8	F.O.R
33	Faropenem 200 mg tab	1x10	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	26.94	3.24	30.18	F.O.R
34	Cilnidipine 10 mg tab	1x10	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	0.25	0.04	0.29	F.O.R
35	Luliconazole ointment cream	tube	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	7.58	0.9	8.48	F.O.R
36	Fexofenadine syrup 30mg/5ml	bottle	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	10.37	1.24	11.61	F.O.R
37	Vidagliptin 50mg tab	1x10	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	0.85	0.1	0.95	F.O.R
38	Olanzapin 5mg	1x10	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	0.22	0.02	0.24	F.O.R
39	Betahistine 16 mg tab	1x10	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	0.39	0.04	0.43	F.O.R
40	Cough syrup with Terbutaline cough syrup , sugar free	100 ml Bottle	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	6.99	0.84	7.83	F.O.R
41	Ambroxol 15mg + Guaiphenesine 50 mg + Levosalbutamol 0.5 mg Syrup	100 ml Bottle	RIVPRA FORMULATION PVT LTD	11.15	1.34	12.49	F.O.R
42	Ofloxacin Injection 200 mg / 100 ml	100 ml Bottle	swaroop pharmaceutical pvt ltd	12.25	1.47	13.72	F.O.R

43	Dextrose 10% Inj. FFS	500 ml bottle	swaroop pharmaceutical pvt ltd	19.8	2.38	22.18	F.O.R
44	Multiple Electrolyte and dextrose Injection Type I IP (Electrolyte P Injection) FFS	500 ml bottle	swaroop pharmaceutical pvt ltd	19.8	2.38	22.18	F.O.R
45	Aceclofenac 100mg+ Thiocolchicoside 4mg + PCM 325mg tab	1x10	Synokem Pharmaceuticals Limited	1.99	0.24	2.23	F.O.R
46	Biotin tab 10000 mcg	1x10	Synokem Pharmaceuticals Limited	0.94	0.11	1.05	F.O.R
47	Moxifloxacine eye drop 0.5%	5ml	ZEE LABORATORIES LTD.	4.48	0.54	5.02	F.O.R
48	Flurbiprofen eye drop 0.3%	5ml	ZEE LABORATORIES LTD.	4.88	0.59	5.47	F.O.R
49	Timolol eye drop 0.5%	5ml	ZEE LABORATORIES LTD.	5.55	0.67	6.22	F.O.R
50	Turoctocog Alfa Pegol long acting Factor VIII 500 IU	per	Novo Nordisk India Private Limited	7,500.00	375.00	7,875.00	F.O.R
51	Turoctocog Alfa Pegol long acting Factor VIII 1000 IU	per	Novo Nordisk India Private Limited	15,000.00	750.00	15,750.00	F.O.R
52	Nonacog Beta Pegol long acting factor IX- 500 IU	per	Novo Nordisk India Private Limited	42,700.00	2,135.00	44,835.00	F.O.R
53	Nonacog Beta Pegol long acting factor IX- 1000 IU	per	Novo Nordisk India Private Limited	85,400.00	4,270.00	89,670.00	F.O.R

VINITA SHAH,
Director General.

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

24 मई, 2023 ई0

संख्या 153/933/जि0पं0अ0को0/2022–23–

जिला पंचायत नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0–11, वर्ष 2016) के भाग–4 की धारा 106, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022, निर्मित की गई है।

कार्यालय, जिला पंचायत, नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्उपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

उपविधियां

जिला पंचायत, नैनीताल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन उपविधि 2022

जिला पंचायतों को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106 (1) (2) ख, घ, ड़, च, छ एवं ज, 106 (ग) 106 (क ड) 106 (क ढ), 106 (क ण),106 (क थ), 106 (ख ञ), 106 (ख ट), 106 (ख ठ), 106 (ख ड), 106 (ख ढ), 106 (ख ण), 106 (ख थ), 106 (ख द), 106 (ख ध), 106 (ग क), 106 (ग ख), 106 (ग ग), धारा 123 एवं धारा 149 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ड).(च) एवं 15 (य च) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016, राजज्ञा संख्या 182(1)/XII(1)/2017–70(80)/2017 दिनांक 24 अक्टूबर 2017 पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट पिटिशन संख्या 80/2012(पी0आई0एल0) श्रीनाथ सेवा मण्डल बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश 16/03/2017, रिट पिटिशन संख्या 140/2015(पी0आई0एल0) ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश तथा रिट पिटिशन संख्या 93/2022(पी0आई0एल0) जितेन्द्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिये निर्देशों को सम्मिलित करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन उपविधि 2022 निर्मित करती है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित उपनियमों का सृजन करती है, अर्थातः–

उक्त उपविधियां उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से जनपद, नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र में लागू होंगी। यह उपविधियां ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन उपविधि 2022 कहलायेंगी।

अध्याय – 1

1. संक्षिप्त नाम एवं परिभाषाऐं

(1) यह उपविधि जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(3) यह उपविधि के उपनियम जिला पंचायत, नैनीताल के अधिकृत ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर लागू होगें।

(4) अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल से होगा।

(5) अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल से होगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी जिला पंचायत, नैनीताल से है।

(7) "चालान करने वाले अधिकारी" का तात्पर्य कार्य अधिकारी, अभियन्ता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कर अधिकारी अथवा अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत/नामित अधिकारी/कर्मचारी जिला पंचायत, नैनीताल होगा।

2. ठोस अपशिष्ट परिभाषाऐं :–

(1) जैविक ठोस अपशिष्ट का अर्थ है घरों से उत्पन्न होने वाला गीला कचरा (रसोई घर से निकलने वाला सभी तरह का गीला कचरा जैसे सब्जियों–फल के छिलके, चाय पत्ती, बचा खाना, गले सड़े फल, मॉस, अण्डे के छिल्के एवं बचा खाना आदि)

(2) अजैविक ठोस अपशिष्ट का अर्थ है कागज, प्लास्टिक, धातु एवं कॉच इत्यादि

(3) ई–अपशिष्ट का अर्थ है कि प्रयोग किये हुए मोबाईल, मोबाईल की बैटरी, चीप आदि ईलेक्ट्रोनिक से सम्बन्धी सामान।

(4) जैव चिकित्सा ठोस अपशिष्ट का अर्थ है कि चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित उपकरण।

(5) निर्माण द्वारा जनित कचरा जैसे :– ग्रामीण क्षेत्रों किये गये किसी भी निर्माण कार्य के समय या उसके पश्चात् एकत्रित होने वाला ठोस अपशिष्ट।

(6) "संग्रह" का अर्थ है ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से ठोस अपशिष्ट को उठाना ओर संग्रह स्थलों या किसी अन्य चयनित स्थान तक पहुंचाना।

(7) सामुदायिक जैविक कूडा घर का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा चयनित स्थल जहां पर जैविक कूड़े का निस्तारण किया जायेगा।

(8) सुपुर्दगी का अर्थ है कि किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को पृथक–पृथक कर जिला पंचायत के ठेकेदार, कार्मिक अथवा जिला पंचायत द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त या लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति को/अधिकृत लाईसेन्सी प्रदत्त ऐजेन्सी द्वारा प्रदान किये वाहन में डालना।

(9) कॉम्पेक्टर का अर्थ है कि एक उर्जा चालित मशीन जिसके द्वारा ठोस कचरे को काम्प्रेस कर न्यूनतम आकार कर तैयार करना होता है।

(10) प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट का अर्थ है कि समस्त प्रकार का कूडा तथा कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है अथवा ऐसा कचरा जिससे किसी व्यक्ति, जीव–जन्तु, पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा ओर कल्याण के प्रति नुकशासन पहुचाने के आशंका हो।

(11) गन्दगी फैलाने का अर्थ है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, सडक, वन क्षेत्र तथा नदी नालों में प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट को उत्सर्जित करना, डालना, दबना अथवा किसी खुले स्थान पर उत्सर्जित करना।

(12) ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाला व्यक्ति/स्वामी का अर्थ है कि जो किसी भवन, भूमि अथवा किसी भू–भाग के मालिक के रूप में अधिकार प्राप्त/अध्यासन रखता हो, अथवा किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थलों/नदी, नालों/वन क्षेत्र/सार्वजनिक मार्गों/पर्यटन स्थलों पर प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट को निर्धारित स्थल के अन्यत्र फैकने/फैलाने वाला व्यक्ति/समुदाय/संस्था से है।

(13) खाली प्लाट का अर्थ है कि प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी ऐजेन्सी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान जिस पर किसी का कब्जा ना हो।

(14) पर्यावरण मित्र का अर्थ है कि कूडा–कचरा उठाने के लिए प्राधिकृत/नियुक्त या लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति को/अधिकृत लाईसेन्सी प्रदत्त ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

(15) इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) का अर्थ है कि जिला पंचायत द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार ताकि ठोस कचरा संग्रह, डुलाई, प्रोसेजिगं व निपटान सेवाओं की आंशिक क्षतिपूर्ती की जा सके।

(16) अर्थ दण्ड का अर्थ है कि प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट को किसी व्यक्ति/समुदाय/सस्थान के द्वारा इस उपविधि के उपनियमों के उल्लघंन किये जाने पर आरोपित दण्ड को अर्थ दण्ड कहा जायेगा।

(17) समस्त अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को पृथक–पृथक कर एकत्रित करगें जैसे :–

(1) जैविक अपशिष्ट – गीला कचरा रसोई घर से निकलने वाला सभी तरह का गीला कचरा जैसे सब्जियों–फल के छिलके, चाय पत्ती, बचा खाना, गले सड़े फल, मॉस, अण्डे के छिल्के एवं बचा खाना आदि – ढक्कन दार हरा डब्बा।

(2) अजैविक अपशिष्ट – सूखा कूडा कागज, प्लास्टिक, धातु एवं कॉच इत्यादि – ढक्कन दार नीला डब्बा में।

(3) ई–वेस्ट – मोबाईल, मोबाईल की बैटरी, चीप आदि ईलेक्ट्रोनिक से सम्बन्धी सामान – ढक्कन दार काला डब्बा में।

(18) समस्त ठोस/तरल जैविक कम्पोस्टीकरण होने वाले अपशिष्ट को समस्त उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि निर्धारित/चयनित स्थल पर प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान, कम्पोस्टिगं अथवा बायोमिथेनेशन तकनीक के जरिए यथा सम्भव निस्तारण किया जायेगा। यदि चयनित स्थल न हों तो पंचायत द्वारा नियत वाहन/कूडा सग्रहण कर्ता या ऐजेन्सी के सुपुर्द किया जाऐगा।

(19) निर्माण कार्यों एवं भवनों को ढहाये जाने से उत्सर्जित कचरे का निपटान सम्बन्धित उत्सर्जन कर्ता द्वारा पंचायत द्वारा नियत विधि से किया जाऐगा।

(20) बायोमैडिकल अपशिष्ट/ई–अपशिष्ट/जोखिम पूर्ण रासायनिक अपशिष्ट एवं औद्योगिक जोखिम पूर्ण कचरे का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्मित तत्सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जाऐगा।

(21) जिला पंचायत द्वारा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बाजारों (जहाँ पर पन्द्रह व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अधिक हों), हाट–बाजारों (जहाँ पर तीस व्यवसायिक फड से अधिक हो), होटल, रैस्टोरेन्ट, बारात घर, रिसोर्ट, उद्योग एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के समीप से गुजरने वाले मुख्य मार्ग में ठोस अपशिष्ट सग्रहण वाहन का संचालन विभाग/संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से किया जाऐगा।

जिला पंचायत द्वारा अधिकृत संग्रह कर्ता ठोस अपशिष्ट को संवहन करते समय पूर्णतः ढक कर ले जायेगा, ठोस अपशिष्ट को उतारते, चढ़ाते व संवहन करते समय कही भी विखराव न हो इसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत संग्रहण कर्ता की होगी।

(22) प्रत्येक कूडा–कचरा/प्लास्टिक उर्त्सजनकर्ता (सामान्य जन/व्यवसायी) को कूडा–कचरा/प्लास्टिक को पृथक–पृथक कर जिला पंचायत, नैनीताल के कूडा वाहन तक पहुंचाना होगा। साथ ही प्रत्येक कूडा–कचरा/प्लास्टिक उर्त्सजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि गीला कूडा व सूखे कूड़े को पृथक–पृथक कर एकत्रित कर कूडे वाहन तक लायेगा।

(23) प्रत्येक कूडा–कचरा/प्लास्टिक उर्त्सजनकर्ता (सामान्य जन/व्यवसायी) की जिम्मेदारी होगी कि कूडा–कचरा/प्लास्टिक को (प्रत्येक सकरी गली, ग्रामीण क्षेत्र के सकरे मार्ग में पडने वाले गाँव से) जिला पंचायत के कूडा वाहन तक मुख्य निर्धारित मार्ग में पहुँचाना होगा।

(24) जनपद नैनीताल में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा स्थापित किये गये कूडेदानों में सूखा एवं गीला कूडा क्रमशः नीला डब्बा एवं हरे डब्बे में डालना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने की दशा में उपविधि में दिये गये प्राविधानानुसार जुर्माना देय होगा।

(25) जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नियत स्थल पर जैस –

(1) जैविक अपशिष्ट का निर्धारित स्थल पर कम्पोस्टिकरण हेतु।

(2) अजैविक अपशिष्ट को विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कमौपेक्टर तक।

(26) जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट संग्रहण स्थलों –

(1) जैविक अपशिष्ट का निस्तारण ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कूडा–कचरा कम्पोस्टीकरण गड्डों में नियत विधि (बायो–मिथेनैसन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिगं, वर्मी कम्पोस्टिगं, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्रोसिसिंग पद्धति से) से किया जाऐगा।

(2) अजैविक ठोस अपशिष्ट का निस्तारण न्याय पंचायत/विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कम्पोक्टर स्थल पर पृथक्कीकरण करना जैसे – धातु, कॉच, प्लास्टिक इत्यादि को पृथक–पृथक कर कोम्प्रेस करना।

(3) ठोस अपशिष्ट को पृथक्कीकरण व न्यूनतम आकार में परिवर्तित करने के उपरान्त रिसाईक्लिंग प्लाट तक निस्तारण हेतु पहुंचाना।

(27) विविध :–

(1) उक्त उपनियमों में किसी भी कठिनाई के आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल के समकक्ष अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल के माध्यम से रखा जाऐगा। जिसका निर्णय ऐसे मामले में अन्तिम होगा।

(2) जिला पंचायत, नैनीताल अपने से निम्न स्तर की दोनों पंचायतें एवं समस्त जनपद के रेखीय विभाग, स्वंय सहायता समूह, निकाय तथा सम्बन्धित स्टेक होल्डर से समन्वय स्थापित कर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध में जनजागरूकता के माध्यम से उक्त उपनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करवायेगी।

अनुसूचि – (1)

स्तमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) का प्राविधान :–

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रूपये में)
1	प्रति परिवार सामान्य	50.00
	प्रति परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी	30.00
2	रैस्टोरेन्ट/ढाबा	300.00
3	पान स्टॉल/टी स्टॉल/ठेले	50.00
4	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाउस 1 से 20 बेड तक	200.00
5	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाउस 20 बेड से अधिक	300.00
6	रिर्सोट/थ्री स्टार व अधिक के होटल 1 से 100 कक्ष तक	2000.00
7	रिर्सोट/थ्री स्टार व अधिक के होटल 100 कक्ष से अधिक	4000.00
8	धर्मशाला	100.00
9	कार्यालय 50 कर्मचारियों तक	100.00
10	कार्यालय 100 कर्मचारियों तक	300.00
11	कार्यालय 300 कर्मचारियों तक	1000.00
12	कार्यालय 300 कर्मचारियों से अधिक	1200.00
13	फैक्ट्री जिसमें 1 से 50 कर्मचारी हों	500.00
14	फैक्ट्री जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी हों	1000.00
15	वर्कशाप	150.00
16	दुकान	100.00
17	सिनेमाहाल	500.00
18	ब्रेकरी/फूड ज्वाईन्ट ब्रेकरी आउटलेट	200.00
19	हॉस्टल 1 से 10 कमरों तक	200.00
20	हॉस्टल 10 कमरों से अधिक	400.00
21	बैंक	500.00
22	फास्ट फूड	200.00

23	मिठाई की दुकान	300.00
24	वेजीटेबिल/फल, शब्जी की दुकान	50.00
25	समस्त सरकारी स्कूल	100.00
26	निजी स्कूल कक्षा 1 से 8 तक	500.00
27	निजी स्कूल इण्टरमीडिएट तक	1000.00
28	बार	1200.00
29	बैकट हॉल/बरातघर (प्रति आयोजन)	1500.00
30	मॉस एवं मछली दुकान	300.00
31	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 1 से 20 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	500.00
32	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 21 बेड से 40 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	1000.00
33	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 41 बेड से 100 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	2000.00
34	क्लीनिक/डेन्टल क्लीनिक फिजियोथिरेपी/डायगनोस्टिक सैन्टर (जैसे एक्स–रे, सी0टी0 स्केन अल्ट्रासाउण्ड, पैथोलौजी आदि)	500.00
35	चाय की दुकान	50.00
36	कबाडी की दुकान	100.00
37	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी आदि आयोजन जिनसे अपशिष्ट उत्पन्न हों	रू0 0.10/प्रति वर्गफीट प्रतिदिन या 500 रूपये प्रतिदिन जो अधिक हो
38	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 0.50 घन मीटर तक	300.00
39	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 3.0 घन मीटर तक	600.00
40	हान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मीटर तक	1500.00
41	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मीटर से अधिक पर	2500.00
42	गन्ने रस/अन्य जूश विक्रेता	50.00
43	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	200 से 1000
उपरोक्त प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज) रूपये की दरों में प्रति तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।		

स्तमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्जे)/प्रभार का भुगतान जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत संचालन विभाग/संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी द्वारा मांग जारी होने के 30 दिनों के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेज)/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत संस्था संचालन विभाग/संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से राजस्व अनुभाग द्वारा विलम्ब शुल्क भुगतान/प्रभार लगाया जाऐगा। जिला पंचायत, नैनीताल स्तमालकर्ता द्वारा यूजर चार्ज/प्रभार का भुगतान न करने पर उपभोगताओं से बकाये शुल्क की वसूली भू–राजस्व की भांति/किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त मा0 न्यायालय में वाद दायर कर करेगी।

अनुसूचि – (2) स्थल पर ही जुर्माना/दण्ड का प्राविधान :–

क्र0 सं0	ठोस अपशिष्ट श्रेणी	ठोस अपशिष्ट उपविधि के उपनियमों के अपराधकर्ता	उपविधि के उल्लघन पर प्रत्येक अवहेलना के लिए जुर्माना (रूपये में)
1	ठोस अपशिष्ट को पृथक–पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कूडा–कचरे को उपविधि में उल्लेखित उपनियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय	100.00
		व्यवसायिक प्रतिस्ठान (परचून, सामान्य मिश्रित, फल–सब्जी विक्रेता, हार्ड व्यर, इत्यादि)	500.00
		ठोस अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता (मॉस, मछली विक्रेता, ढाबा, रैस्टोरेन्ट, होटल गैस्ट हाउस, होलीडेहोम, कैम्पिंग टैन्ट)	1000.00
		थोक के रूप में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता (रिर्सोट 50 कक्ष से अधिक, सनेमाहाल, बारात घर, मल्टीप्लेक्श हाल, विभिन्न प्रकार के आयोजनकर्ता जहां पर 50 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होतें हों।)	10000.00
		थोक के रूप में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता (समस्त प्रकार की फैक्ट्री, स्टोन क्रेशर, मिनरल प्लान्ट, शूगर प्लान्ट और अन्य)	15000.00
2	सडक, गली, नाली, सार्वजनिक स्थल में कूडा फैकना, थूकना	उल्लघंन कर्ता	200.00
3	ठोस अपशिष्ट को पहाडी ढलानों, जलस्रोतों, नदी, नालों, नहरों, मुख्य मार्गों या कोई ऐसे स्थान जहाँ पर अपशिष्ट डालना/ फैकना वर्जित हो।	उल्लघंन कर्ता (किसी व्यक्ति/ समूह/ संस्थान)	1000.00

उल्लघंन कर्ता जुर्माने/दण्ड को अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल अथवा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी तथा जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत संस्था संचालन विभाग/संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह एवं सेवा प्रदाता ऐजेन्सी द्वारा मौका स्थल पर चालान किया जाऐगा।

उल्लघंनकर्ता/उल्लघंनकर्ताओं द्वारा चालान करने के उपरान्त 30 दिनों के भीतर जुर्माने की धनराशि का भुगतान न करने की दशा में जिला पंचायत, नैनीताल उल्लघन कर्ता (व्यक्ति/संस्था/समूह) पर जुर्माने की वसूली भू–राजस्व की भांति अथवा किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त मा0 न्यायालय में वाद दायर कर करेगी।

अध्याय — 2

प्रतिबन्धित प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) अपशिष्ट प्रबन्धन :–

अध्याय – 1 में दिये गये उपबन्ध अध्याय – 2 में भी लागू होंगें।

ठोस अपशिष्ट :– ठोस अपशिष्ट ऐसा अपशिष्ट अभीप्रेत है जो दैनिक उपयोग के उपरान्त जनित होता है इसमें विद्यमान अवयव जैविक, अजैविक व निष्क्रिय होते हैं। इसके संग्रहण हेतु जनित स्थल पर ही पृथक्कीकरण किया जाना आवश्यक है। अजैविक अपशिष्ट में कॉच, प्लास्टिक, धातु एवं कागज इत्यादि आते है।

जैविक चिकित्सा अपशिष्ट/बायोमैडिकल अपशिष्ट का प्रबन्धन उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (यू0ई0पी0पी0सी0बी0) को अनिवार्य रूप से करना है। (बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियम – 2016 एवं 2017)

औद्योगिक, घातक अपशिष्ट और घातक कचरा एवं ई–वेस्ट का प्रबन्धन प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को अनिवार्य रूप से करना है। (उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017)

निष्क्रिय अपशिष्ट :– घर की निकलने वाली झाडन तथा जैविक अपशिष्ट पेड की पत्तियां साखाऐं, सब्जियों–फल के छिलके, चाय पत्ती, बचा खाना, गले सड़े फल, मॉस, अण्डे के छिल्के एवं बचा खाना इत्यादि का निस्तारण ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर चयनित स्थल पर कम्पोस्टीकरण कर किया जाता है।

जीव अनाशित पदार्थ :– से प्लास्टिक सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो कि माइक्रो आर्गनिज्म, सूर्य रोशनी अथवा अन्य प्राकृतिक कार्यवाही से समाप्त अथवा कम नही किया जा सकता है और इसमें पॉलिथिन, नाईलॉन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड्स (पी0वी0सी0), पॉली प्रोपिलीन, पॉली स्टाइरीन, पॉली इथाइलीन टैरेफ्थेलेट, हाई डेनसिटी पॉलीथीन, लो डेनसिटी पॉलीथीन और धूना और बहु पदार्थ जैसे (ए0बी0एस0–एक्रीलोनीट्रइल बटाडाइन स्टाइरीन, पी0पी0ओ0 पालीथीन ऑक्साइड, पी0सी0–पॉलीकारबोनेट, पी0बी0टी0–पालीबूटाइलीन टेरेफ्थालेट) इत्यादि से बने अथवा विनिर्मित सामान सम्मिलित हैं।

प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट :– यह अपशिष्ट अत्यधिक हानिकारक है जिससे वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित होते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर भी पडता है। प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट से मानव/जीव में विभिन्न गम्भीर तरह की बिमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषित होता है। भूमि में प्लास्टिक के अपघटन की अवधि सौ वर्षों तक हो सकती है। जिससे अनेक प्रकार की आपदाऐं आ सकती है जैसे नाली में प्लास्टिक कचरा जमा होने से प्रदूशित पानी का जलभराव, नदी नालों में प्लास्टिक कचरे के भराव से उनके प्राकृतिक प्रवाह के मार्ग में अवरोध के कारण बाढ़ आना, पहाडों में प्लास्टिक के कारण भूमि की नमी प्रभावित होने से प्राकृतिक जलस्रोतों में प्रतिकूल प्रभाव पडना।

1. कोई भी व्यक्ति, स्वंय या किसी और के माध्यम से जानबूझ कर या अनजाने में प्लास्टिक/थर्मोकोल/स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नही करेगा (पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16/02/2021 में दिये गये) :–

– प्लास्टिक किसी भी आकार, मोटाई, माप, रंग के कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग (बायो–कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग को छोड कर)।

– थर्मोकोल, डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कॉटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हों।

– सिंगल यूज (एकल उपयोग) खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों, जो पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य/तरल पदार्थ को ढ़कने ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

– कम्पोस्टेबल प्लास्टिक भारतीय मानक IS 17088:2008 की पुष्टि करेगा। बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता विपणन विक्रय से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस हेतु सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

– कोई भी व्यक्ति जानते हुये या अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को, जो कि समय–समय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों तथा शासन द्वारा निर्गत आदेशों में प्रतिबन्धित किया गया है, को नही फेंकेगा।

2. कोई भी व्यक्ति स्वयं या दूसरे के द्वारा, जानबूझकर या अन्यथा, किसी नाली, बेटिलेशन, पाईप अथवा सार्वजनिक जल निकास से जुडे हो, नहर तालाब, नाले, नदी में कोई भी प्लास्टिक नही फेंकेगा या फेंकवायेगा।
3. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा प्लास्टिक कूडे को किसी सार्वजनिक स्थान या खुले स्थान पर नही डालेगा या डालने की अनुज्ञा देगा, प्लास्टिक कूडा कचरा निर्धारित बन्द कूडेदान में डालेगा।
4. जिला पंचायत, नैनीताल यदि उचित समझे तो ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट सग्रहण/पृथक्कीकरण का कार्य संचालन स्वंय विभाग/संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी/निविदा के माध्यम से नियमानुसार करवा सकती है।
5. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा प्रतिबन्धित प्लास्टिक किसी भी स्थान पर नही जलायेगा।

उक्त उपबन्धों के उल्लघन की दशा में जिला पंचायत, नैनीताल के सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अथवा जिला पंचायत के अधिकृत ठेकेदार द्वारा अर्थदण्ड वसूला जायेगा।

अनुसूचि – (3) स्थल पर ही जुर्माना का प्राविधान :–

क्र0 सं0	उल्लघंनकर्ता	उपविधि के उल्लघन पर प्रत्येक अवहेलना के लिए जुर्माना (रूपये में)
1	संस्था/व्यवसायी द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग करते पाये जाने पर	500 रूपये प्रति पॉलीथीन अथवा 5000 रूपये जो धनराशि अधिक हो।
2	व्यक्तिगत उपयोग	रूपये 100
3	उत्पादनकर्ता	रूपये 5.00 लाख
4	परिवहनकर्ता	रूपये 2.00 लाख
5	खुदरा विक्रेता/क्रेता	रूपये 1.00 लाख
6	सार्वजनिक स्थान पर प्लास्टिक कूडे को	रूपये 1000

	जलाना/फेकना	
7	नदी, नाले एवं तालाब में प्लास्टिक कूडे को फेकने पर	रूपये 5000
पुनः उल्लंघन में पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता पर उपरोक्त का दोगुना जुर्माना आरोपित किया जायेगा।		

नोट :– जिला पंचायत, नैनीताल उपरोक्त अध्याय – 1 एवं 2 के प्राविधानों के तहत ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण के सफल संचालन हेतु वित्तीय संशाधनों की व्यवस्था केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से प्राप्त होने वाले अनुदान, सी0एस0आर0 (कॉरपोरेट सोसियल रिस्पोन्सिब्लिटी) के माध्यम से एवं उपविधि में प्राविधानित यूजर चार्ज व्यवस्था के तहत शुल्क प्राप्त कर करेगी।

दण्ड

उल्लघंन कर्ता जुर्माने/दण्ड को अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल अथवा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी या जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत संस्था संचालन विभाग/संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह एवं सेवा प्रदाता ऐजेन्सी द्वारा मौका स्थल पर चालान किया जाऐगा।

उल्लघंनकर्ता/उल्लघंनकर्ताओं द्वारा चालान करने के उपरान्त 30 दिनों के भीतर जुर्माने की धनराशि का भुगतान न करने की दशा में जिला पंचायत, नैनीताल उल्लघन कर्ता (व्यक्ति/संस्था/समूह) पर जुर्माने की वसूली भू–राजस्व की भांति अथवा किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त मा0 न्यायालय में वाद दायर कर करेगी।

कोई भी व्यक्ति/संस्था/व्यवसायी/समूह उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा –

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात –

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात –

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)- के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

15 जून, 2023 ई0

संख्या 257/933/जि0पं0अ0को0/2022–23–

जिला पंचायत नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (1) (2) में दिये गये प्राविधानानुसार अपने प्रस्ताव संख्या–21 दिनांक 22.02.2023 द्वारा जिला पंचायत नैनीताल मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति उपविधियां निर्मित की गई हैं।

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

पूर्व में प्रकाशित जिला पंचायत, नैनीताल मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति सम्बन्धी उपविधि में ग्राम प्रधानों द्वारा की गयी आपत्ति कि "जिला पंचायत को मानचित्र स्वीकृति का अधिकार नही है," का निस्तारण करते हुये जिला पंचायत को उत्तखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106(क) एवं 123 में उपविधि निर्मित करने व शुल्क उद्ग्रहित करने का प्राविधान है।

अतः मानचित्र उपविधि में संशोधन करते हुऐ पुनः जिला पंचायत, नैनीताल की बैठक दिनांक 22/02/2023 को पारित कर विज्ञप्ति जारी की जाती है।

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्उपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल
मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति सम्बन्धी उपविधियां – 2022

सूचना

जिला पंचायत नैनीताल ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106 के साथ पठित अधिनियम की धारा 123 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत (प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कैन्टोमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) सभी आवासीय, अनावासीय, व्यवसायिक भवनों जैसे होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल, रिर्जाट, अपार्टमेंटस, शैक्षणिक संस्थान, नर्सिंग होम, फैक्ट्री आदि का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत करवाने के निमित्त निम्न उपविधियॉं बनायी गयी है। यह उपविधियॉं उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियॉं

1 – **यह उपविधियॉं, जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत सभी आवासीय, अनावासीय, व्यवसायिक भवनों जैसे होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल, रिर्जाट, अपार्टमेंटस, शैक्षणिक संस्थान, नर्सिंग होम, फैक्ट्री आदि के निर्माण कार्यो के मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति सम्बन्धी उपविधियॉं कहलायेंगी।**

(क)– **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 से है।

(ख)– **"ग्रामीण क्षेत्र"** का तात्पर्य जिले में अधिसूचित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, छावनी परिषद की सीमा से बाहर स्थित एंव किसी विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र अधिनियम 1960 से आच्छादित क्षेत्र, सरकार द्वारा नोटिफाइड एरिया कमेटी से भिन्न क्षेत्र से है।

(ख)– **"ग्रामीण क्षेत्र"** का तात्पर्य जिले में अधिसूचित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, छावनी परिषद की सीमा से बाहर स्थित एंव किसी विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र अधिनियम 1960 से आच्छादित क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्र से हैं सरकार द्वारा नोटिफाइड एरिया से भिन्न क्षेत्र से है।

(ग)– **"मैदानी क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो समुद्र तल से 500 मी0 की ऊँचाई तक हो।

(घ)– **"पर्वतीय क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो समुद्र तल से 500 मी0 की ऊँचाई से अधिक हो।

(ड)– **"मानचित्र"** का तात्पर्य प्रस्तावित भवन के ड्राईंग, डिजाईन एंव विशिष्ठियों के अनुसार बने उस नक्शे है जो कि पंजीकृत वास्तुविद् (आर्किटैक्ट) के द्वारा बनाया गया हो एंव जिसका डिजायन योग्य अभियंता द्वारा तैयार किया गया हो।

(च)– **"निर्माण कार्य"** का तात्पर्य किसी व्यवसायिक भवन का निर्माण करना, पुनःनिर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

(छ)– **"आवासीय भवन"** का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो तथा जो मानव प्रयोग में लाया जा रहा हो।

(ज)– **"समूह आवासीय भवन"** का तात्पर्य उस परिसर से है जिसके अन्दर आवासीय फलैट अथवा स्वत्रंत आवासीय इकाई बनी हो तथा पार्किंग पार्क बाजार जन सुविधाए आदि का प्राविधान हो।

(झ)– **"बहुमजिंला भवन"** का तात्पर्य चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक की ऊचाई के भवन से है।

(झ1)– **"ड्रेनेज"** का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसृजित पानी आदि को हटाने के लिऐ किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाईप भी सम्मिलित हैं।

(ण)– **"व्यवसायिक भवन"** का तात्पर्य ऐसे भवन या भवन के भाग से है जैसे होटल, रेस्टोरेंट, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल, रिर्जाट, अपार्टमेंटस, फैक्ट्री आदि जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्य हेतु किया जाना हो।

(त)– **"सैट बैक"** का तात्पर्य भूखण्ड/ भवन की सीमाओं की समानान्तर रेखा से है जो भवन निर्माण एंव विकास उपविधि में निर्दिष्ट की गयी हो और जिसके बाहर भूखण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण अनुमन्य न हो।

(थ)– **"भवन की ऊँचाई"** का तात्पर्य सम्बन्धित ब्लॉक के प्लिंथ लेवल से ऊपर की ऊँचाई से है। भूतल से न्यूनतम प्लिंथ लेवल 0.45 मी0 ही अनुमन्य होगा।

(द)– "अनुज्ञापित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे प्रौफेशनल कर्मी से है जों अधिनियम की संगत धाराओ अधीन पंजीकृत हो अथवा किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा एम्पेन्डल हो।

(ध)– "भवन स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका किसी भूमि या भवन पर विधिक अधिकार हो।

(न)– "स्वीकृति प्राधिकारी" का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत नैनीताल से है जिसके द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया गया हो।

(प)– "तकनीकी प्राधिकारी" का तात्पर्य अभियंता/कनिष्ठ अभियन्ता, जिला पंचायत नैनीताल से है जिसको स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा भवन के नक्शों की विषयगत उददेश्य के लिये परिक्षणोपारांत स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने हेतु आदेशित/निर्देशित किया गया हो।

(फ)– "कार्य अधिकारी का तात्पर्य" कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल अथवा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत उस कार्मिक से है जो विषयगत उस उददेश्य के लिए पत्रावली प्रस्तुत कर समस्त कार्यवाही के उपरान्त अन्तिम रूप से स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र निर्गत कराने की कार्यवाही करें।

(ब)– जिला पंचायत का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 86(1) में अधिनियमित जिला पंचायत, नैनीताल से है।

(भ)– अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल से है।

(भ1)– सदस्य का तात्पर्य सदस्य जिला पंचायत, नैनीताल से है।

(म)– भवन का तात्पर्य ऐसी स्थाई प्रकृति कि निर्माण अथवा संरचना से है, जो किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाय, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अथवा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उनके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी, क्षेत्र, दीवार, फर्स, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थाई प्लेट फार्म, बरान्डा, बॉलकॉनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भु–भाग को ढकने के उददेश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शमियाना, तिरपाल आदि जो कि पूणतः अस्थाई रूप सक किसी समारोह के लिए लगाये जाते है वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगें।

(य)– व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत के भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों , भण्डारण बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं की प्रदर्शन, थोक या फिटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य–कलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कनबीनिएन्य स्टोर एवं सुविधाऐं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांकिग हो और किसी भवन में स्थित हो, सम्मलित होने अथवा ऐसी भवन/स्थल जिनका प्रयोग धर्नोपार्जन हेतु किया जाना हो।

(र)– कोई भी व्यक्ति फर्म, संस्था आदि जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक,व्यवसायिक उददेश्य से भवन निर्माण, दुकान, होटल, चूना, घरों,रज्जू मार्ग निर्माण आदि तब तक नही कर सकेगा जब तक उस व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति के पास जिला पंचायत नैनैताल से उसका नक्शा उपविधियों के अधीन स्वीकृत न करवा लिया गया हो।

(ल)– जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेंत्रों में व्यापारिक, व्यवसायिक, उददेश्य में निर्मित किये जाने वाले होटल, दुकान, भवन ,इमारत, रज्जू मार्ग पर तथा मनोरंजन केन्द्र आदि के निर्माण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2 – जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण सीमा के अर्न्तगत कोई भी भव निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन एंव इस तरह के अन्य सभी आवासीय भवनों तथा व्यापारिक/व्यवसायिक उददेश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल, रेस्टोरेंट, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल, रिर्जाट, अपार्टमेंटस, फैक्ट्री का निर्माण की स्वीकृति का आशय रखने वाला भूस्वामी/भवन स्वामी इन उपविधियों के अधीन निम्नलिखित अभिलेख एवं सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा–

(क) प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदक द्वारा आवेदन की दो प्रतियॉ, मानचित्रों के चार सैट कार्यालय में जमा करने होंगे। मानचित्र पर अनुज्ञा प्रदत्त हो जाने पर एक सैट कार्यालय में अभिलेख हेतु रखा रखा जायेगा।

(क1) प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदक को उस प्रादेशिक क्षेत्र के सदस्य जिला पंचायत, नैनीताल से अनापत्ति का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे, जिसमें उनका नाम एंव अनुज्ञप्ति संख्या होंगे।

(ग) मानचित्र पर भवन स्वामी, मानचित्र तैयार करने वाले आर्किटेक्ट/ड्राफटसमैन एंव भवन के स्ट्रक्चरल डिजायन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजिनियर के संयुक्त हस्ताक्षर होगें।

(घ) मानचित्र पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज आदि का विवरण करना अनिवार्य होगा।

(घ) मानचित्र पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज आदि का विवरण करना अनिवार्य होगा।

(ड़) स्थल से स्वामित्व सम्बन्धि सभी आवश्यक दस्तावेज।

3 – भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुदेश निम्नानुसार होंगे–

(क) भवनों की अधिकतम ऊँचाई निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

- मैदानी क्षेत्रो में –

क्रम सं0	हाऊसिंग स्कीम		भूखण्ड/भवन के सम्मुख स्थिति मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	भवन की अधिकतम ऊचाई	अधिकतम तलो की सख्यां
1	आवासीय	एकल आवासीय	4.50 मी0	6.00 मी0	02
		समूह आवासीय	5.00 मी0	9.00 मी0	03
		अपार्टमैंट हाऊसिंग	7.00 मी0	12.00 मी0	04
2	अनावासीय/ व्यवसायिक	50–100 वर्ग मी0	4.50 मी0	6.00 मी0	02
		100–200 वर्ग मी0	4.50 मी0	9.00 मी0	03
		200–2000 वर्ग मी0	7.00 मी0	12.00 मी0	04
		2000–5000 वर्ग मी0	7.00 मी0	15.00 मी0	05
3	होटल/मोटल		7.00 मी0	15.00 मी0	05
4	रिर्जाट		7.00 मी0	15.00 मी0	05

- पर्वतीय क्षेत्रो में–

कम सं0	हाऊसिंग स्कीम		भूखण्ड/भवन के सम्मुख स्थिति मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	भवन की अधिकतम ऊचाई	अधिकतम तलो की सख्यां
1	आवासीय	एकल आवासीय	2.50 मी0	6.00 मी0	02
		समूह आवासीय	3.50 मी0	6.00 मी0	03
		अपार्टमैंट हाऊसिंग	4.50 मी0	12.00 मी0	04
2	अनावासीय/ व्यवसायिक	50–100 वर्ग मी0	4.50 मी0	6.00 मी0	02
		100–200 वर्ग मी0	4.50 मी0	9.00 मी0	03
		200–2000 वर्ग मी0	6.00 मी0	12.00 मी0	04
		2000–5000 वर्ग मी0	7.0 मी0	15.00 मी0	05
3	होटल/मोटल		7.0 मी0	15.00 मी0	05
4	रिर्जाट		7.0 मी0	9.00 मी0	03

(ख) भवनों की ऊचाई प्लिंथ लेवल से आंकलित की जायेगी, इस हेतु भूतल से न्यूनतम पिलिथ लेवल 0.45 मी0 ही अनुमन्य होगा।

(ग) भवनों के सैट बैक की गणना निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(अ) 12.00 से 15.00 मी0 तक ऊचे भवनो के चारों ओर न्यूनतम 5.00 मीटर का सैट बैक आवश्यक होगा।

(ब) 12.00 मीटर तक ऊँचे भवनो हेतु न्यूनतम आवश्यक सैट बैक निम्नानुसार होगें।

- आवासीय भवन –

भूखण्ड़ क्षेत्रफल	न्यूनतम आवश्यक सैट बैक (मी0 में)							
	मैदानी क्षेत्र				पर्वतीय क्षेत्र			
	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व 1	पार्श्व 2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व 1	पार्श्व 2
50 से 100 वर्ग मी0	1.50				1.50			
100 से 200 वर्ग मी0	2.00	1.50			1.50	1.20		
200 से 500 वर्ग मी0	4.50	3.00	1.50		3.00	2.00	1.50	
500 से 1000 वर्ग मी0	6.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
1000 वर्ग मी0 से अधिक	7.50	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00

• अनावासीय /व्यवसायिक भवन –

भूखण्ड़ क्षेत्रफल	न्यूनतम आवश्यक सैट बैक (मी0 में)							
	मैदानी क्षेत्र				पर्वतीय क्षेत्र			
	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व 1	पार्श्व 2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व 1	पार्श्व 2
100 से 200 वर्ग मी0	4.00				3.00			
200 से 500 वर्ग मी0	6.00	2.00	3.00		4.00			
500 से 1000 वर्ग मी0	7.50	3.00	3.00	1.50	5.00	2.00	2.00	1.50
1000 से 2000 वर्ग मी0	9.00	4.00	4.00	3.00	7.00	3.00	3.00	2.00
2000 वर्ग मी0 से अधिक	10.00	5.00	4.50	4.50	8.00	4.00	4.00	3.00

(घ) भूमि सम्बन्धी सरकारी एंव गैर सरकारी विवाद उठने पर निर्माण कार्य के निर्माणकर्ता को स्वंय जिम्मेदारी लेनी होगी।

(ड) मकान भवन /होटल निर्माण पर चिम्नीदार खुली हवा की ओर रखना अनिवार्य होगा। ताकि बस्ती व पडोसियो पर उसका कुप्रभाव न पडे इसके अतिरिक्त शौचालय व पेशावघर साथ–साथ जारी शर्तो के अनुरुप रखने होंगे तथा उनकी निकासी सीवर लाईन से हो तो उससे जोड़ना होगा। अगर न पड़ी हो तो सोख्ता गडढा ऐसे सुरक्षित स्थान पर बनाया जायेगा जिससे नदी नाले तथा अनय को किसी हानि या प्रदूषण/गन्दगी का सामना न करना पड़े सॅफाई वयवस्था का पर्याप्त ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

(छ) भवन एवं पक्की सडकों के द्वारा भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मी0 के ग्राउण्ड कवरेज पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक 500 वर्ग मी0 पर अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा।

(ज) स्थल पर वृक्ष होने की दशा में वृक्षों से 3.00 मीटर की न्यूनतम दूरी तक निर्माण की अनुमन्यता नहीं होगी ।

(झ) भूकम्प से सुरक्षा हेतु भूकम्परोधी प्राविधान सभी प्रकार के भवन निर्माण में किया जाना अनिर्वाय होगा । इस हेतु भवन निर्माण से पूर्व सम्बंधित आर्किटेक्ट, इंजिनियर एवं आवेदक द्वारा संयुक्त रुप से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवयक होगा कि स्ट्रक्चरल डिजायन नैशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्राविधनों एवं सुसंगत कोड के अनुरुप है।

4– भवन निर्माण हेतु मानचित्र/नक्शा स्वीकृत करने की दरें निम्नानुसार होंगे–

(क) पहाडी क्षेत्रों में एकल आवासीय/समूह आवासीय/अपार्टमैंट हाऊसिंग में सभी तलों के लैण्टर से ढके हुए भाग पर रुपया 4.00 प्रति वर्ग फीट होगी।

(ख) मैदानी क्षेत्रों में एकल आवासीय/समूह आवासीय/अपार्टमैंट हाऊसिंग में सभी तलों के लैण्टर से ढके हुए भाग पर रुपया 10.00 प्रति वर्ग फीट होगी।

(ग) पहाडी क्षेत्रों में व्यवसायिक भवन में सभी तलों के लैण्टर से ढके भाग पर रुपया 6.00 प्रति वर्ग फीट होगी।

(घ) मैदानी क्षेत्रों में व्यवसायिक भवन में सभी तलों के लैण्टर से ढके भाग पर रुपया 10.00 प्रति वर्ग फीट होगी।

(ड) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुर्ननिर्माण करने की दशा में अनुज्ञा की दरें नये भवन की दरों के अनुरुप होगी।

(च) स्वीकृत भवन के मानचित्र/नक्शे में संशोधन की दशा में अनुज्ञा की दरें नये भवन की दरों के एक चौथाई (50%) होगी।

5– कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(क) प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदक द्वारा आवेदन की दो प्रतियॉ, मानचित्रों के चार सैट कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल में जमा कराने होगें।

(क–1) स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ पगस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू–अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल के कार्यालय में स्वयं अथवा सम्बन्धित माध्यम द्वारा जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

(क–2) ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू–अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

(क–3) कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही अधिकतम एक सप्ताह में पूर्ण करके सम्बन्धित अभिलेखा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल को प्रस्तुत कर देगा, कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं या उनके द्वारा नामित कर्मी द्वारा की जायेगी।

(क–4) कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता जिला पंचायत नैनीताल को पृष्ठांकित कर देगा।

(क–5) प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्र के जिला पंचायत, नैनीताल के सदस्य की संस्तुति एक सप्ताह के भीतर एवं सदस्य की संस्तुति न होने पर अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल की अनुमति अधिकतम् 15 दिन के भीतर प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्धारित समय में संस्तुति/अनुमति प्राप्त न होने पर स्वतः ही अनुमति स्वीकार्य होगी।

(क–6) भूमि जिला पंचायत, नैनीताल के स्वामित्व की न होने से सम्बन्धित विवरण/टिप्पणी एवं भू–स्वामी जिला पंचायत, नैनीताल का अवैध कब्जाधारी तथा जिला पंचायत, नैनीताल के देयकों से मुक्त होने का विवरण/टिप्पणी।

(ख) ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत नैनीताल को पृष्ठॉकित कर देगा।

(ग) अभियन्ता द्वारा स्वयं अथवा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु कनिष्ठ अभियन्ता जिला पंचायत नैनीताल को स्थल के सर्वेक्षण हेतु(Designated) आदेशित किया जायेगा।

(घ) कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अधिकतम एक सप्ताह में प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण की आख्या अभियन्ता, जिला पंचायत नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

(ड) अभियन्ता द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण के उपरान्त परियोजना के मानचित्र से अंतरिम शुल्क की गणना करायी जायेगी।

(च) अभियन्ता द्वारा परियोजना के तकनीकी दृष्टि से सुसंगत पाये जाने पर अपनी आख्या स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(छ) स्वीकृति प्राधिकारी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत आख्या का परीक्षण करने के उपरान्त आवेदक को आगणित शुल्क जमा करने का मॉग पत्र जारी करेंगे जिसमें आवेदक को मॉग पत्र जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करने का समय दिया जायेगा।

(ज) आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि तक जिला निधि के रोकड बहि में संम्पूर्ण शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(झ) उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा पत्र, अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता को संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ संस्तुति करने के पश्चात्, अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल की स्वीकृति एवं अनुमोदन पर जारी किया जाऐगा। नक्शे पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(ण) यदि कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का मॉग पत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह के समय की समाप्ति से 15 दिन के भीतर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल को लिखित रुप में उक्त की जानकरी देनी होगी। यदि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल द्वारा 10 दिन के भीतर कोई कार्यवाही नही की जाती है तो उपविधि में दी गयी दर से आगणित शुल्क की धनराशि जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत वास्तुविद से तैयार कराया गया मानचित्र स्वीकृत माना जायेगा।

6– कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था ,कम्पनी आदि जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापारिक, व्यवसायिक उददेशय से निर्माणाधीन होटल, रेस्टोरेंट, इजिनियरिंग, मेंडिकल, नर्सिंग कालेज एंव इस तरह के अन्य सभी निजी/व्यवसायिक भवनो, सापिंग काम्पलैक्स, सापिंग मॉल, रिर्जाट, एर्पाटमेंट, फैक्ट्री का निर्माण तब तक नही कर सकेगा, जब तक उस व्यक्ति, फर्म, संस्था ,कम्पनी आदि द्वारा जिला पंचायत नैनीताल से उसका नक्शा स्वीकुत न करवा लिया हो।

8– जनपद नैनीताल के अर्न्तगत निमार्णाधीन होटल, रेस्टोरेंट, इजिनियरिंग, मेंडिकल, नर्सिंग कालेज एंव इस तरह के अन्य सभी निजी/व्यवसायिक भवनो, सापिंग काम्पलैक्स, सापिंग मॉल, रिर्जाट, एर्पाटमेंट, फैक्ट्री के स्वामी को उपारोक्त उपविधियो का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर जिला पंचायत नैनीताल ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि के विरुद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगी।

9– जनपद नैनीताल के अर्न्तगत होटल, रेस्टोरेंट, इजिनियरिंग, मेंडिकल, नर्सिंग कालेज एंव इस तरह के अन्य सभी निजी/व्यवसायिक भवनो, सापिंग काम्पलैक्स, सापिंग मॉल, रिर्जाट, एर्पाटमेंट, फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तथा उसके चालू होने पर जिला पंचायत द्वारा आरोपित लाईसेंस शुल्क एंव सम्पति विभव कर प्रतिवर्ष जमा करना होगा ऐसा न करने पर शर्तो का उल्लघन समझा जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी कर होगी।

10– विवाद – उक्त कार्यवाही में किसी भी विवाद होने की दशा में यह स्वीकृति नक्शा किन्ही कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा, एवं उनका यह आदेश अभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

उपरोक्त निर्मित उपविधि का पालन न करने की दशा में निम्नानुसार दण्ड आरोपित किया जाऐगा।

दण्ड

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा –

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात –

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात –

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

ई0 पी0 एस0 बिष्ट,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

बेला तोलिया,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, नैनीताल।

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

15 जून, 2023 ई0

संख्या-258 / 933 / जि0प0अ0का0 / 2022—23—

जिला पंचायत नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (1) (2) में दिये गये प्राविधानानुसार अपने प्रस्ताव संख्या-22 दिनांक 22.02.2023 द्वारा जिला पंचायत नैनीताल दुकान, स्टोन क्रेशर, पावर, रिक्शा तांगा एवं हाट बाजार उपविधियां निर्मित की गई हैं।

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्उपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल की हाट बाजार उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा (2) के खण्ड घ तथा ग के उपखण्ड (घ) व (ड) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया को छोड़कर) में सभी हाट बाजारों को नियंत्रित करने हेतु बनाये गये उपनियमों जिनका संशोधित प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति संख्या 1977 / इक्कीस-7 / 2009—2010 दिनांक 12—08—2010 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित) में हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1)(2) के खण्ड 'घ' के उपखण्ड (घ)(ड) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया को छोड़कर) में सभी हाट बाजारों को नियन्त्रित करने हेतु निम्न संशोधन एवं नये व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है, जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (2) में दिये गये प्राविधानानुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

क्र0 सं0	मद	पूर्व में निर्धारित दर	संशोधित उपनियम की दर
1.	मिर्च, गल्ला, धनियां, हल्दी, आटा, चावल, अड्‌डी, कपास व रूई, नमक आदि के थोक मर	20 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
2.	मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, गल्ला, आटा, चावल, अड्‌डी, कपास व रूई के फुटकर में	20 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
3.	घी थोक में	150 रूपये प्रति फड	200 रूपये प्रति फड़
4.	घी फुटकर में	100 रूपये प्रति फड	150 रूपये प्रति फड़
5.	गुड़ भेली	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
6.	जूता फरोस	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
7.	जूता गढ़ने वाला	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
8.	बिस्कुट, मोमबत्ती खोमची में	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
9.	फल, तरबूज, खरबूज, आम तथा अन्य फल	20 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
10.	सब्जी फुटकर में	20 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
11.	सब्जी, आलू घुइयां, बैंगन, आदि थोक में	20 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
12.	पटवा	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
13.	नेचबन्द	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
14.	मनिहार	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
15.	पतिया फरोस	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
16.	कुम्हार	20 रूपये प्रति फड या गाडी	30 रूपये प्रति फड़
17.	टोकरी बांसी आदि	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
18.	नाई फड	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
19.	अचार मुरब्बा आदि	20 रूपये प्रति फड	60 रूपये प्रति फड़
20.	1. भुर्जी 2. भुर्जी फुटकर में	20 रूपये प्रति फड या खोमचा 20 रूपये प्रति फड या खोमचा	60 रूपये प्रति फड़ 50 रूपये प्रति फड़
21.	मेवार फरोस	100 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
22.	दर्जी	100 रूपये प्रति फड	150 रूपये प्रति फड़
23.	छीपी लिहाफ बेचने वाला	100 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
24.	कपड़े की दुकान बजाज	100 रूपये प्रति फड	150 रूपये प्रति फड़
25.	बिसाती	100 रूपये प्रति फड	100 रूपये प्रति फड़
26.	तेली	50 रूपये प्रति फड	100 रूपये प्रति फड़
27.	तम्बोली	50 रूपये प्रति फड	100 रूपये प्रति फड़
28.	हलवाई	100 रूपये प्रति फड	150 रूपये प्रति फड़
29.	शारफी	100 रूपये प्रति फड	100 रूपये प्रति फड़
30.	लोहार	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
31.	मछली व अण्डे	20 रूपये प्रति कांडिया	100 रूपये प्रति फड़ / व्यक्ति
32.	पंसारी	100 रूपये प्रति फड	120 रूपये प्रति फड़
33.	गन्ना फरोस	100 रूपये प्रति गाड़ी	100 रूपये प्रति गाड़ी
34.	जुलाहा	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
35.	बकरा फरोस	100 रूपये प्रति रास	300 रूपये प्रति रास
36.	बकरा कसाब	100 रूपये प्रति फड	250 रूपये प्रति फड़
37.	कसेरा अल्मोनियम पीतल कलई के बर्तन	100 रूपये प्रति फड	150 रूपये प्रति फड़
38.	कम्बल फरोस	20 रूपये प्रति फड	100 रूपये प्रति फड़

39.	कसाई	150 रूपये प्रति फड	300 रूपये प्रति फड
40.	रजिस्ट्री मवेशी	150 रूपये प्रति फेड	100 रूपये प्रति फड
41.	सोफे मेज आदि	100 रूपये प्रति फड	200 रूपये प्रति फड़
42.	पान थाबड़	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड
43.	चारपाई के पाये, हरस, हल आदि	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड
44.	बीडी आदि के विज्ञापन	100 रूपये प्रति रिक्शा 150 रूपये प्रति कार	100 रूपये प्रति रिक्शा 200 रूपये प्रति रिक्शा
45.	सुअर कसाव	150 रूपये प्रति फड	400 रूपये प्रति फड
46.	चटाई	100 रूपये प्रति चटाई	120 रूपये प्रति फड़
47.	चाय, सोडा लेमन, मलाई, बर्फी, आइसक्रीम आदि	20 रूपये प्रति पेटी	100 रूपये प्रति फड़/व्यक्ति
48.	तम्बाकू, सूती, पान का तम्बाकू आदि	20 रूपये प्रति फड	100 रूपये प्रति फड़
49.	मुर्गी, बत्तख	20 रूपये प्रति अंदद	100 रूपये प्रति फड़
50.	चाट खोमचा	20 रूपये प्रति खोमचा	50 रूपये प्रति फड़
51.	घास	20 रूपये प्रति गाडी या खोमचा	50 रूपये प्रति फड़
52.	लकड़ी का गठ्ठा	150 रूपये प्रति गाड़ी	150 रूपये प्रति गाड़ी
53.	खोमचा पान बीडी, सिगरेट आदि	100 रूपये प्रति फड	150 रूपये प्रति फड
54.	इमारती लकड़ी चौखट आदि	100 रूपये प्रति फड	200 रूपये प्रति फड़
55.	खिल बतासे, खिलौना, खाण्ड आदि	20 रूपये प्रति फड	50 रूपये प्रति फड़
56.	रेवड़ी गजक आदि	20 रूपये प्रति खोमचा	100 रूपये प्रति फड़
57.	लाटरी बेचने वाला	20 रूपये प्रति बाजार	300 रूपये प्रति बाजार
58.	प्लास्टिक सामान विक्रेता	नवीन व्यवसाय	300 रूपये प्रति फड़
59.	ताला, चाकू, इत्यादि विक्रेता	नवीन व्यवसाय	100 रूपये प्रति फड़
60.	पुराने कपड़े विक्रेता	नवीन व्यवसाय	100 रूपये प्रति फड़
61.	धातु बर्तन	नवीन व्यवसाय	200 रूपये प्रति फड़
62.	अन्य समस्त प्रकार के फड/खोमचा/वाइन द्वारा व्यवसाय	नवीन व्यवसाय	150 रूपये प्रति फड़

नोट :– उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 163 क(1) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टकर हो"।

दण्ड

कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय व्यवसायी/संस्था/फर्म/फड संचालक/ठेकेदार उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा –
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,
अर्थात –

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो यह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।".
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,
अर्थात –

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"
149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो यह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तदउपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल की रिक्शा तांगा उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2). च (क) (ख) तथा (ड) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल ने अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दो पहियां, तीन पहियां चार पहियां साइकिल रिक्शे के किराये पर या निजी उपयोग के लिए चलाये जाने वाले रिक्शे आदि को नियंत्रित तथा विनियमित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियम जिनका संशोधित प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति संख्या 1974/इक्कीस–7/2009–2010 दिनांक 12 अगस्त, 2010 के द्वारा उपखण्ड 4, 10 एवं 11 में हुआ है। वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1)(2) के खण्ड 'च' के उपखण्ड (क)(ख)(ड) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत दो पहियां, तीन पहियां चार पहियां साइकिल रिक्शे के किराये पर या निजी उपयोग के लिए चलाये जाने वाले रिक्शे आदि को नियंत्रित तथा विनियमित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु निम्न संशोधन किया जाता है, जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (2) में दिये गये प्राविधानानुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

पूर्व प्रचलित उपनियम	संशोधित उपनियम
4. प्रत्येक व्यक्ति को जो दो पहिये, तीन पहिये अथवा चार पहिये वाले रिक्शा साइकिल स्वामी हों, उसे साइकिल व रिक्शा ग्रामीण क्षेत्रों में रखने व किराये पर चलाने के लिए प्रति वर्ष 100 रू0 रिक्शा स्वामी को तथा 25 रू0 चालक को लाइसेंस शुल्क देय होगा।	4. प्रत्येक व्यक्ति को जो दो पहिये, तीन पहिये, चार पहिये रिक्शा, साइकिल स्वामी हों, उसे साइकिल व रिक्शा ग्रामीण क्षेत्रों में रखने व किराये पर चलाने के लिए प्रति वर्ष 100 रू0 रिक्शा स्वामी को तथा 50 रूपये चालक को लाइसेंस शुल्क देय होगा। बैट्री चालित तीन पहिया ई–रिक्शा स्वामी को लाइसेंस शुल्क 200 रूपये तथा चालक को 100 रूपये लाईसेन्स शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा।
10. लाइसेंस वसूल करने वाले जिला पंचायत के कर समाहर्ता, राजस्व अधीक्षक अथवा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत आने वाले किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि लाइसेंस शुल्क स्वामी अथवा चालक से प्राप्त न होने पर वे रिक्शों को लाइसेंस प्राप्त होने तक अपने कब्जे में, अपने संरक्षण में रख ले तथा 15 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क प्राप्त न होने पर रिक्शों को नीलाम कर दें, चालक अथवा स्वामी को नीलाम की तिथि से तीन माह तक लाइसेंस शुल्क काटकर बांकी धनराशि जिला पंचायत द्वारा स्वामी अथवा चालक के प्रार्थना पत्र देने पर वापस की जायेगी परन्तु माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् कोई भी धनराशि वापस नही की जायेगी। 11. यदि रिक्शा किसी ऐसे स्थान पर रात्रि के लिए जिला पंचायत के अधिकारी या कर समाहर्ता द्वारा अपने संरक्षण में रखी जाय तो रिक्शा स्वामी को 24 घन्टे रोकने के लिए मात्र 10 रू0 तथा यदि रिक्शो को बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने पड़े तो दुलान का वास्तविक व्यय भी रिक्शा स्वामी से वसूल किया जायेगा।	10. लाइसेंस वसूल करने वाले जिला पंचायत के कर समाहर्ता, राजस्व निरीक्षक, कर–अधिकारी अथवा जिला पंचायत अधिनियम 2016 की धारा 113 के अन्तर्गत आने वाले किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि लाइसेंस शुल्क स्वामी अथवा चालक से प्राप्त न होने पर वे रिक्शों को लाइसेंस प्राप्त होने तक अपने कब्जे में, अपने संरक्षण में रख ले तथा 15 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क प्राप्त न होने पर रिक्शों को नीलाम कर दें, चालक अथवा स्वामी को नीलाम की तिथि से तीन माह तक लाइसेंस शुल्क काटकर बांकी धनराशि जिला पंचायत द्वारा स्वामी अथवा चालक के प्रार्थना पत्र देने पर वापस की जायेगी परन्तु माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् कोई भी धनराशि वापस नही की जायेगी। 11. यदि रिक्शा किसी ऐसे स्थान पर रात्रि के लिए जिला पंचायत के अधिकारी या कर समाहर्ता द्वारा अपने संरक्षण में रखी जाय तो रिक्शा स्वामी को 24 घन्टे रोकने के लिए मात्र 50 रू0 तथा यदि दो पहिये, तीन पहिये, चार पहिये रिक्शा, ई–रिक्शे को बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने पड़े तो दुलान का वास्तविक व्यय भी रिक्शा स्वामी/चालक से वसूल किया जायेगा।

नोट :– उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 153 क(1) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टकर हों"।

दण्ड

कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय चालक/स्वामी/व्यवसायी/संस्था/फर्म/ठेकेदार उक्त निर्गित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा –

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात –

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात –

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्उपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल की पावर उपनियम

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा 2(घ) के खण्ड (ड) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल, के जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर मिलों, कारखानों को नियत्रित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनका संशोधित प्रकाशन गज़ट की विज्ञप्ति संख्या 3410/इक्कीस-8/2014-15 दिनांक 28 सितम्बर, 2015 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित), पत्रांक 1277/XII-13/97-98 दिनांक 16 फरवरी, 2012 (उत्तराखण्ड सरकार के गज़ट में दिनांक 26 मई, 2012 को प्रकाशित) हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम के अध्याय-उन्नीस की धारा 106 की उपधारा (1)(2) के खण्ड 'घ' 'ड' 'च' 106 (ख ख), 106 (ख ग) 106 (ख ठ) 106 (ख ढ) के साथ सपठित धारा-123 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर मिलों, कारखानों को नियत्रित करने हेतु निम्न संशोधन किये जाते हैं, जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (2) में दिये गये प्राविधानानुसार गज़ट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

वर्तमान उपनियम	संशोधित उपनियम
11. प्रत्येक मिल जो कत्था दियासलाई, लीसे की मिल, मशीन के हिस्से बनाने और मरम्मत करने की मिल, ब्रुश बनाने और मरम्मत करने की मिल, पेन्सिल बनाने की मिल कपड़ा ऊन बनाने की मिल आटा पिसने की मिल, चावल निकालने की मिल, दाल बनाने की मिल, लकड़ी चिरने की मिल आइसक्रीम बनाने की मिल हो या अन्य मिल हो जो बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो स्टीम गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, कूड आयल, हवा से चलने वाली छोटी मिल मशीनें, जिसमें की मात्र 1 से 5 श्रमिक/कर्मचारी तक कार्यरत हों। पर प्रतिवर्ष 500 रूपया प्रति मशीन यदि एक है तो अन्यथा अधिक की दशा में इसके अतिरिक्त 50 रूपया प्रति मशीन लाईसेन्स शुल्क देय होगा।	11. प्रत्येक मिल जो कत्था दियासलाई, लीसे की मिल, मशीन के हिस्से बनाने और मरम्मत करने की मिल ब्रुश बनाने और मरम्मत करने की मिल, पेन्सिल बनाने की मिल कपड़ा ऊन बनाने की मिल आटा पिसने की मिल, चावल निकालने की मिल, दाल बनाने की मिल, लकड़ी चिरने की मिल आइसक्रीम बनाने की मिल हो या अन्य मिल जो बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो स्टीम गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, कूड आयल, हवा से चलने वाली छोटी मिल मशीनें, जिसमें की मात्र 1 से 5 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों तो प्रतिवर्ष 800 रूपया एक मशीन होने पर, एक मशीन से अधिक मशीने होने पर प्रति मशीन 100 रूपया लाइशेन्स शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
11-(1) उपरोक्त समस्त मिलें चाहे वे बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, स्टीम से चलती हो, डीजल, मिट्टी का तेल, कूड आयल ,हवा से चलती हो चाहे बिना शक्ति पावर से चलती हो यदि उसमें 6 से अधिक व 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों, तो उन्हें मिल फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हें 1500 रूपया प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा, तथा 1 टन से कम मिनी सेलर 1,500 रूपये एवं 1 टन से अधिक धान मिल/सेलर 5 टन तक 3,000 रूपये इससे अधिक की दशा में अतिरिक्त प्रतिटन 500 रूपये लाईसेन्स शुल्क देय होगा	11-(1) उपरोक्त समस्त मिलें/ फैक्ट्रियां चाहे वे बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, स्टीम से चलती हो, डीजल, मिट्टी का तेल, कूड आयल ,हवा से चलती हो चाहे बिना शक्ति पावर से चलती हो यदि उसमें 6 से अधिक व 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों, तो उन्हें मिल फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हें 2000 रूपया प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा, तथा धान मिल/ पलौर मिल/ मिनी सेलर मिल जिनकी क्षमता 1 टन तक की हो उन्हें 2000 रूपये प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क, 1 टन से अधिक तथा 5 टन तक 5,000 रूपये लाईसेन्स शुल्क ,तथा इससे अधिक की दशा में अतिरिक्त प्रतिटन 1000 रूपये लाईसेन्स शुल्क देय होगा।
(2) उपरोक्त ऐसी सभी मिलों जिसमें 11 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 25 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों तो लाईसेन्स शुल्क 3000 प्रतिवर्ष तथा 26 से अधिक 50 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 5000 रूपया प्रतिवर्ष देय होगा जिस मिल फैक्ट्री में 51 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 100 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हो लाईसेन्स शुल्क उस मिल फैक्ट्री हेतु रूपया 8000 देय होगा 101 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी और 150 तक श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर उस मिल, फैक्ट्री का लाईसेन्स शुल्क 10000 रूपया प्रतिवर्ष देय होगा 151 से 200 तक श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 15000 रूपया देय होगा 201 से 250 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 20000 रूपया देय होगा 251 से 500 तक श्रमिक कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 25000 रूपया देय होगा 501 से 5000 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 30000 रूपया देय होगा 5001 से 10000 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 40000 रूपया देय होगा 10001 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 50000 रूपया देय होगा।	(2) उपरोक्त ऐसी सभी मिलों जिसमें 11 से अधिक 25 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हो, तो लाईसेन्स शुल्क 4000 प्रतिवर्ष तथा 26 से अधिक 50 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 7000 रूपया प्रतिवर्ष देय होगा जिस मिल फैक्ट्री में 51 से अधिक 100 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हो लाईसेन्स शुल्क रूपया 10000 देय होगा 101 से अधिक 150 तक श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर उस मिल, फैक्ट्री का लाईसेन्स शुल्क 15000 रूपया प्रतिवर्ष देय होगा 151 से 200 तक श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 20000 रूपया देय होगा 201 से 250 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 25000 रूपया देया होगा 251 से 500 तक श्रमिक कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 30000 रूपया देय होगा 501 से 5000 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 40000 रूपया देय होगा 5001 से 10000 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 50000 रूपया देय होगा 10001 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 60000 रूपया देय होगा।
12. (1) विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी, लाइ0 शुल्क — विलम्ब शुल्क 500.00 रू0 प्रतिवर्ष — 10.00 रू0 प्रतिमाह 1500.00 रू0 प्रतिवर्ष — 15.00 रू0 प्रतिमाह 3000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 30.00 रू0 प्रतिमाह 5000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 50.00 रू0 प्रतिमाह 8000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 80.00 रू0 प्रतिमाह 15000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 150.00 रू0 प्रतिमाह 20000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 200.00 रू0 प्रतिमाह 25000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 250.00 रू0 प्रतिमाह 30000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 300.00 रू0 प्रतिमाह 40000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 400.00 रू0 प्रतिमाह 50000.00 रू0 प्रतिवर्ष — 500.00 रू0 प्रतिमाह	12. (1) विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी, लाइ0 शुल्क — विलम्ब शुल्क 500.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 10.00 रू0 प्रतिमाह 500.00 रू0 से अधिक 1500.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 20.00 रू0 प्रतिमाह 1500.00 रू0 से अधिक 3000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 30.00 रू0 प्रतिमाह 3000.00 रू0 से अधिक 5000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 50.00 रू0 प्रतिमाह 5000.00 रू0 से अधिक 8000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 80.00 रू0 प्रतिमाह 8000.00 रू0 से अधिक 15000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 150.00 रू0 प्रतिमाह 15000.00 रू0 से अधिक 20000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 200.00 रू0 प्रतिमाह 20000.00 रू0 से अधिक 25000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 250.00 रू0 प्रतिमाह 25000.00 रू0 से अधिक 30000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 300.00 रू0 प्रतिमाह 30000.00 रू0 से अधिक 40000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 400.00 रू0 प्रतिमाह 40000.00 रू0 से अधिक 50000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष — 500.00 रू0 प्रतिमाह 50000.00 रू0 से अधिक — 600.00 रू0 प्रतिमाह

नोट :- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 163 क(1) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टकार हो"।

दण्ड

कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय व्यवसायी/संस्था/फर्म/ठेकेदार उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा –
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,
अर्थात –

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज, अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,
अर्थात –

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्उपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल की स्टोन क्रेसर उपविधियां

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 239 (1) के प्राविधानों के अधीन जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण एवं जनसाधारण की सुरक्षा हेतु स्टोन क्रेशर (पत्थर व गिट्टी तोड़ने की मशीन) की स्थापना/संचालन नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु बनाये गये उपनियमों जिनका प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या पत्रांक 1270/XII–5/97–98 दिनांक 16 फरवरी, 2012 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 20 मई, 2012 को प्रकाशित) में हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम के अध्याय–उन्नीस की धारा 106 की उपधारा (1)(2) के खण्ड 'च' 'ज', 106 (ख ग), 106 (ख झ) सपठित धारा 123, धारा 179 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण एवं जनसाधारण की सुरक्षा हेतु स्टोन क्रेशर (पत्थर व गिट्टी तोड़ने की मशीन) की स्थापना/संचालन नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु निम्न संशोधन किये जाते है, जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (2) में दिये गये प्राविधानानुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

पूर्व प्रचलित उपनियम	संशोधित उपनियम
स्टोन छनना 10,000/– स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार) 300 किलोवाट तक) 15,000/– स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार 300के0वी0 से अधिक 20,000/–	स्टोन छनना 12,000/– स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार) 300 किलोवाट तक) 16,000/– स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार 300के0वी0 से अधिक 22,000/–

नोट :– उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 163 क(1) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर हो"।

दण्ड

कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय व्यवसायी/संस्था/फर्म/ठेकेदार उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा –
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,
अर्थात –

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात –

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्उपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु चिह्नित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल की दुकान उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा 2(घ) के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली सभी प्रकार की दुकानों आदि को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनका संशोधित प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति संख्या 3410/इक्कीस–8/2014–15 दिनांक 28 सितम्बर, 2015 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित), पत्रांक 1274/XII–2/97–98 दिनांक 16 फरवरी, 2012 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 26 मई, 2012 को प्रकाशित) एवं विज्ञप्ति संख्या 1975/इक्कीस–7/2009–2010 दिनांक 12 अगस्त 2010 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 06 नवम्बर, 2010) के उपबन्ध 8 में हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम के अध्याय–उन्नीस की धारा 106 की उपधारा (1)(2) के खण्ड 'घ' के साथ पठित धारा 123 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत चलाई जाने वाली सभी प्रकार की दुकानों आदि को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु निम्न संशोधन एवं नये व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है।

यह उपविधि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग)के खण्ड (1) (2) में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

क्र0 सं0	वर्तमान उपनियम	धनराशि	क्र0 सं0	संशोधित उपनियम	धनराशि
(3)	प्रत्येक खाद्य, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री व अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाईसेन्स देय होगा और उन पर जिस दर से लाईसेन्स शुल्क लेगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है।			प्रत्येक खाद्य, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री व अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाईसेन्स देय होगा और उन पर जिस दर से लाईसेन्स शुल्क लगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है।	
1	(1) स्कूटर मोटर साईकिल वर्कशाप (2) मोटर कार वर्कशॉप	500/– 1000/–	1	(1) स्कूटर मोटर साईकिल वर्कशाप	600/–
				(2) मोटर कार वर्कशॉप	1200/–
2	1. प्रिंटिंग प्रेस जिसमें तीन कर्मचारी तक काम करते हों 2. प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पांच कर्मचारी तक काम करते हों	500/– 1000/–	2	(1) प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पाँच कर्मचारी तक काम करते हों	800/–
				(2) प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पांच से ज्यादा कर्मचारी काम करते हों	1200/–
3	कबाड गोदाम एक स्थान पर जमा करना 1. छोटा गोदाम 2. बड़ा गोदाम	 1100/– 2000/–	3	कबाड गोदाम एक स्थान पर जमा करना	
				(1) छोटा गोदाम	1200/–
				(2) बड़ा गोदाम	2400/–
				(3) स्क्रैप सेल	2400/–
4	बैटरी मरम्मत	300/–	4	(1) बैटरी मरम्मत	400/–
				(2) बैटरी फुटकर विक्रेता	1200/–
5	एल्यूमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान 1. सामान 2. फर्नीचर	 1000/– 1500/–	5	एल्यूमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान सामान खिड़की, दरवाजे आदि	1200/–
6	होम ऐपलाइसेंज (टी0वी0 फ्रिज शो रूम इत्यादि)	2000/–	6	(1) होम ऐपलाईन्सेज (टी0वी0, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सी शो रूम इत्यादि) जिसमें 10 कर्मचारी तक काम करते हों	2400/–
				(2) होम ऐपलाइसेज (टी0वी0, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सी शो रूम इत्यादि) जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हों	4000/–
7	रेत बजरी सीमेन्ट से निर्मित गमले	1500/–	7	क्रमांक 64 में अंकित	
8	चश्मे बनाने की दुकान 1. चश्मा बेचना 2. चश्मा बनाना	 500/– 500/–	8	(1) चश्मा बनाने की दुकान (आप्टिकल)	1000/–
				(2) चश्मा बेचने की दुकान	1600/–
				(3) चश्मा बनाने, बेचने एवं आई0 टेस्ट सेन्टर	1800/–
9.	नॉन नैशनलाईज्ड बैंक	5000/–	9	नॉन नैशनलाईज्ड बैंक	6000/–
124.	पैथोलॉजी (टैस्टिंग लैब) छोटी कम्प्यूटर राईज्ड बड़ी	 1200/– 3000/–	10	पैथोलॉजी (टैस्टिंग लैब) छोटी	1400/–
				कम्प्यूटर राईज्ड बड़ी लैब	4000/–

175	नोन बैंकिंग इन्स्टीट्यूट	1000/—	11	नोन बैंकिंग फाईनैन्स इन्स्टीट्यूट	2500/—
176.	डिश टी0वी0 सिस्टम विक्रेता	1000/—	12	डिश टी0वी0 सिस्टम विक्रेता	1200/—
177.	विद्युत उपकरण ठेकेदारी में तैयार करना	1500/—	13	विद्युत उपकरण (ठेकेदारी में तैयार करना)	1800/—
178.	चश्मे बनाना, बेचना, आंख बैंक करना	1500/—	14	क्रमांक 8(3) में अंकित	
179.	शेयर ब्रोकर	800/—	15	शेयर ब्रोकर	2000/—
180	डिश टीवी (इन्टर नेट कनेक्शन सर्विस)	1 रूपये प्रति कनेक्शन	16	(1) डिश टी0वी0 कनेक्शन वितरणकर्ता प्रतिकनेक्शन	10/—
				(2) इन्टर नेट कनेक्शन वितरणकर्ता प्रतिकनेक्शन	10/—
181	टायल	500/—	17	क्रमांक 120(8) में अंकित	
182.	फोटो स्टेट मशीन विक्रेता	1000/—	18	(1) फोटोस्टेट/लेमिनेशन की दुकान	600/—
				(2) फोटोस्टेट मशीन विक्रेता	1200/—
				(3) फोटोस्टेट मशीन मरम्मत दुकान	700/—
183.	कम्प्यूटर ऐसेसीरिज विक्रेता	1000/—	19	कम्प्यूटर/लैपटाप ऐसेसीरिज विक्रेता	1200/—
184.	कार श्रृंगार कार ऐसेसीरिज विक्रेता	1500/—	20	कार श्रृंगार/कार ऐसेसीरिज विक्रेता	1800/—
185	कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन लैप टाप विक्रेता टैब लेट	2500/—	21	कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैप टाप, टैबलेट एवं मोबाईल फोन विक्रेता	3000/—
186	आर्किटेक्ट नक्शा निर्माता	2000/—	22	आर्किटेक्ट/मानचित्रकार नक्शा निर्माता	2500/—
187	ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अन्य	1000/—	23	ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (अन्य)	1200/—
188	फास्ट फूड कारनर	250/—	24	फास्ट फूड कॉर्नर	300/—
189	धातु निर्मित फर्नीचर	1500/—	25	धातु निर्मित फर्नीचर शोरूम/दुकान	1800/—
190	प्लास्टिक फाईबर निर्मित फर्नीचर	1600/—	26	प्लास्टिक फाईबर निर्मित फर्नीचर	1800/—
191	रेत बजरी ईंट अन्य के कमीशन एजेन्ट	1100/—	27	क्रमांक 120(6) में अंकित	
192	चिकिन मटन कार्नर	500/—	28	चिकिन मटन कार्नर	700/—
193	स्क्रैप सेल एण्ड प्राईजेज	2000/—	29	क्रमांक 3(3) में अंकित	
194	इन्वर्टर बैटरी फुटकर विक्रेता	1000/—	30	इन्वर्टर बैटरी फुटकर विक्रेता	1500/—
195	सी0सी0 टी0वी0 कैमरा विक्रेता	1000/—	31	सी0सी0टी0वी0 कैमरा विक्रेता	1200/—
196	इन्टीरियर डिजाईनिंग एजेन्सी	1000/—	32	इन्टीरियर डिजाईनिंग एजेन्सी	1500/—
197	हैवी अर्थ मूविंग मशीन सेल्स एण्ड सर्विस	11000/—	33	हैवी अर्थ मूविंग मशीन सेल्स एण्ड सर्विस	14000/—
198	हैवी केबल सेल्स हैवी अर्थ मूविंग मशीन सेल्स	10000/—	34	हैवी केबल सेल्स	10000/—
199	लेथ मशीन/अतिरिक्त	500/— 100/—	35	लेथ मशीन	700/—
				लेथ मशीन अतिरिक्त प्रतिमशीन	200/—
200	गोदाम किसी भी व्यवसाय अन्य	1100/—	36	गोदाम किसी भी व्यवसाय अन्य (छोटा)	2500/—
				गोदाम किसी भी व्यवसाय अन्य (बड़ा)	5000/—
201.	गददी मेकर/सिलाई	250/—	37	गददी मेकर/सिलाई (गाड़ी)	300/—
202	गाड़ी डेंटिंग पेंन्टिग	700/—	38	गाड़ी डेंटिंग पेंन्टिग	850/—
203	बारात घर में बारातियों के ठहरने हेतु प्रति कक्ष	500/—	39	बारात घर में बारातियों के ठहरने हेतु प्रति कक्ष	600/—
204	एड एजेन्सी (विज्ञापन ऐजेन्सी)	1000/—	40	एड एजेन्सी (विज्ञापन ऐजेन्सी)	1500/—
205	इश्योरेन्स कम्पनी प्रा0 लि0	2000/—	41	इश्योरेन्स कम्पनी प्रा0 लि0	6500/—
206	कम्प्यूटर नेट एक्जाम सेन्टर	600/—	42	कम्प्यूटर नेट एक्जाम सेन्टर प्रति कम्प्यूटर	10/—
207	स्टेडी सर्किल प्राइवेट इनवर सिटी	1000/—	43	स्टडी सर्किल प्राइवेट इनर सिटी	1200/—
208	मिनी सेलर/मिनी आटा मिल	1500/—	44	पावर	1800/—
209	कैटरिंग	500/—	45	कैटरिंग	2000/—
4	i) होटल जहां साधारण ग्रामीण ठहरते हों ii) होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट हाउस रिसोर्ट्स जहां पर्यटक एवं जनपद के बाहरी यात्री ठहरते हों (आधुनिक सुविधा युक्त) पर्वतीय क्षेत्र रामगढ़, धारी, भीमताल, बेतालघाट, कोटाबाग व ओखलकांडा विकास खण्ड हेतु (प्रति बैड) 2(1) होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट हाउस जहां पर्यटक एवं जनपद के बाहरी यात्री ठहरते हों (आधुनिक सुविधा युक्त) हल्द्वानी, रामनगर विकास खण्डों हेतु (प्रति कमरा) (3) रिसोर्ट विकास खण्ड रामनगर/ हल्द्वानी हेतु (प्रति कमरा)	120/— 300/— 600/— 700/—	46	(1) होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट हाउस साधारण सुविधा युक्त (प्रति कमरा)	400/—
				(2) होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट हाउस रिसोर्ट्स आधुनिक सुविधा युक्त (प्रति कमरा) समस्त होटल (आधुनिक/अतिआधुनिक)	800/—
				(3) रैस्टोरेन्ट एवं किचन अतिरिक्त	1000/—
				(4) होम स्टे प्रति कमरा	300/—
				(5) काटेज/ टेन्ट/ इत्यादि प्रति टेन्ट/ काटेज (प्रति)	300/—
18	स्पयर पार्ट्स 1. साईकिल 2. मोटर साईकिल 3. चार पहिया हल्का वाहन 4. चार पहिया से अधिक भारी वाहन	250/— 250/— 600/— 1,000/— 1,500/—	47	स्पेयर पार्ट्स :—	
				(1) साईकिल	300/—
				(2) मोटर साईकिल	800/—
				(3) चार पहिया हल्का वाहन	1200/—
				(4) चार पहिया से अधिक भारी वाहन	1800/—
73	फाइनेंस कम्पनी शाखा	2000/—	48	फाइनेंस कम्पनी शाखा	3000/—
103	सी0 एण्ड एफ0 सभी सामानों जैसे सीमेन्ट पैन्ट	5,000/—	49	सी0 एण्ड एफ0 सभी सामानों जैसे सीमेन्ट पैन्ट व अन्य सभी	6000/—
141	पत्थर/संगमरमर मूर्ति के निर्माता	1,500/—	50	पत्थर/संगमरमर मूर्ति/मन्दिर इत्यादि के निर्माता	1800/—
148.	निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 से 5 तक कक्षा 6 से 8 तक कक्षा 9 से 10 तक कक्षा 11 से 12 तक इन्जीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एड0, अन्य डिप्लोमा कोर्स	 500/— 1000/— 1500/— 2000/— 10000/—	51	निजी शिक्षण संस्थान	
				नर्सरी से कक्षा 5 तक	1000/—
				कक्षा 6 से 12 तक	2000/—
				नर्सरी से कक्षा 12 तक	3000/—
				इन्जीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एड0, अन्य डिप्लोमा डिग्री इत्यादि	12000/—
				प्ले स्कूल/डे—केयर सेन्टर इत्यादि	800/—

	स्टील पत्ती गैलवैनाइजड डिपो	5000/–	52	स्टील पत्ती गैलवैनाइजड डिपो	6500/–
	माड्यूलर किचन	600/–	53	माड्यूलर किचन निर्माण	3000/–
	पेन्ट फुटकर	1000/–	54	पेन्ट फुटकर	1200/–
				पेन्ट थोक विक्रेता	5000/–
				पेंट कम्प्यूटराइज्ड	1500/–
	कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली ऐजेन्सी	2000/–	55	कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली ऐजेन्सी	2500/–
	निजी बैंक	5000/–	56	निजी बैंक	6000/–
	लकडी फर्नीचर शो रूम	1500/–	57	फर्नीचर शो रूम/दुकान	
				(1) लकडी	1800/–
				(2) धातु/एलमुनियम/स्टील/लोहा इत्यादि	1800/–
				(3) प्लास्टिक फाईबर निर्मित	1800/–
				(4) अन्य	1800/–
	स्टील फर्नीचर शो रूम	1500/–	58	क्रमांक 57(2) में अंकित	
	लकडी फर्नीचर/स्टील फर्नीचर शो रूम	2000/–	59	क्रमांक 57(1) में अंकित	
	मोबाइल टावर (प्रति टावर)	5000/–	60	मोबाइल टावर (प्रति टावर)	5500/–
	व्यायाम	1000/–	61	जिम सेन्टर	1200/–
	खेल का सामान	500/–	62	खेल का सामान दुकान	600/–
	वियर हाउस	5000/–	63	वेयर हाउस/गोदाम	6500/–
	सीमेन्ट के गमले बनाना	300/–	64	सीमेन्ट के गमले बनाना	300/–
	रिचार्ज कूपन (मोबाइल)	200/–	65	रिचार्ज कूपन (मोबाइल)	200/–
	कम्प्यूटर सेल एण्ड शो रूम	1000/–	66	क्रमांक 21 में अंकित	
	कम्प्यूटर सर्विस	500/–	67	कम्प्यूटर सर्विस/ इलैक्ट्रानिक्स/ मोबाईल फोन सर्विस सैन्टर	800/–
	वाटर फिल्टर (इलैक्ट्रानिक्स)	500/–	68	वाटर फिल्टर (इलैक्ट्रानिक्स) विक्रेता	600/–
	वाटर फिल्टर साधारण	300/–	69	वाटर फिल्टर साधारण	400/–
	मोटर गाडियों के रेडीयेटर मरम्मत	250/–	70	मोटर गाडियों के रेडीयेटर मरम्मत	300/–
	गाडी के पम्प की मरम्मत	300/–	71	गाडी के पम्प की मरम्मत	400/–
	डिपार्टमेन्टल स्टोर	2000/–	72	(1) डिपार्टमेन्टल स्टोर/मनि मार्ट/ मार्ट इत्यादि	2400/–
				(2) मॉल/रिटेल चेन स्टोर इत्यादि	5000/–
	लडके लडकियों का हॉस्टिल (प्रति बैड)	100/–	73	लडके लडकियों का हॉस्टिल (प्रति बैड)	200/–
	साइबर कैफे	600/–	74	(1) साइबर कैफे	700/–
				(2) सी0एस0सी0 सेन्टर	500/–
	कम्प्यूटर स्क्रीन पेन्टिंग व साइन बोर्ड	800/–	75	कम्प्यूटर स्क्रीन प्रिन्टिंग व साइन बोर्ड	1000/–
1	परचून की दुकान	120/–	76	(1) परचून के सामान की छोटी दुकान (50,000/– के सामान तक)	300/–
				(2) परचून के सामान की दुकान (50,000/– के सामान से ऊपर)	600/–
2	i) हलवाई की दुकान छोटी	120/–	77	(1) हलवाई की दुकान छोटी	400/–
	i) हलवाई की दुकान जिसमें नमकीन, चाय, रेस्टोरेन्ट भी शामिल हो।	250/–		(2) हलवाई की दुकान जिसमें नमकीन, चाय, रेस्टोरेन्ट भी शामिल हो।	1000/–
3	होटल जहाँ भोजन व्यवस्था हो :–		78	होटल जहाँ भोजन व्यवस्था हो :–	
	1. ढाबा	250/–		(1) साधारण ढाबा	300/–
	2. आधुनिक रैस्टोरेन्ट	1000/–		(2) आधुनिक रैस्टोरेन्ट	1200/–
				(3) मांसाहारी रैस्टोरेन्ट	1500/–
5	i) इमारती लोहे की दुकान	300/–	79	(1) इमारती तथा अन्य लोहा थोक विक्रेता	1000/–
	ii) इमारती लोहे की दुकान 50,000/– रू0 से ऊपर	600/–		(2) इमारती तथा अन्य लोहा फुटकर विक्रेता	800/–
6	i) इमारती लकडी की दुकान	300/–	80	(1) लकडी/ प्लाइवुड/ इन्जीनीयरड वुड फर्नीचर के थोक विक्रेता	2400/–
	ii) इमारती लकडी की दुकान 50,000/– रू0 से ऊपर	600/–		(2) इमारती लकडी थोक विक्रेता	1500/–
				(3) इमारती लकडी फुटकर विक्रेता	1000/–
				(4) ईंधन जलाने की लकडी, कोयला के व्यापारी	400/–
				(5) शिल्प कला, काष्ठ कला उद्योग	150/–
				(6) इमारती लकडी के कारपेंटर/ बढ़ई	300/–
7	जूते बिक्री की दुकान	200/–	81	(1) जूता, चप्पल विक्रेता की दुकान	500/–
				(2) शू मेकर/मरम्मत	100/–
8	फुटकर गल्ला विक्रेता	200/–	82	(1) थोक गल्ला विक्रेता	1300/–
				(2) फुटकर गल्ला विक्रेता	500/–
9	बर्तन की दुकान	300/–	83	बर्तन की दुकान	400/–
10	कपड़े की फुटकर दुकान रेडिमेड सहित	250/–	84	कपड़े की फुटकर दुकान रेडिमेड सहित	500/–
11	कपड़े की थोक दुकान	600/–	85	कपड़े की थोक दुकान	1000/–
12	सोने चाँदी के आभूषण की दुकान	600/–	86	(1) सोना चाँदी आभूषण निर्माता व विक्रेता शो रूम	2000/–
				(2) सोना चाँदी आभूषण मरम्मत की दुकान	800/–
13	पुस्तक, कापी व स्टेशनरी की दुकान	250/–	87	(1) पुस्तक, कापी व स्टेशनरी थोक विक्रेता	1000/–
				(2) पुस्तक कापी व स्टेशनरी फुटकर विक्रेता	600/–
14	i) मेडिकल स्टोर (20,000/– रू. के सामान तक)	600/–	88	(1) मेडिकल स्टोर थोक विक्रेता	5000/–
	ii) मेडिकल स्टोर (20,000/– रू. से ऊपर)	1000/–		(2) मेडिकल स्टोर फुटकर विक्रेता (2,00,000/– के सामान तक)	1000/–
				(3) मेडिकल स्टोर फुटकर विक्रेता (2,00,000/– से ऊपर सामान)	1500/–
15	चाय, लस्सी व अन्य पदार्थ	75/–	89	(1) चाय की दुकान	200/–
				(2) लस्सी, जूस व अन्य पेय पदार्थ की दुकान	300/–
				(3) गन्ना जूस विक्रेता	100/–

16	सिगरेट, बीड़ी, पान व तम्बाकू की दुकान।	150/–	90	सिगरेट बीडी, पान व तम्बाकू की दुकान	200/–
17	1. पेट्रोल पम्प 2. डीजल पम्प	2000/– प्रति मशीन अति 300/– 2000/– प्रति मशीन अति 300/–	91	(1) पेट्रोल पम्प प्रति मशीन अति (2) डीजल पम्प प्रति मशीन अति	2500/– 500/– 2500/– 500/–
19	साइकिल मरम्मत की दुकान	150/–	92	साइकिल मरम्मत की दुकान	200/–
20	बिसातखाने की दुकान	100/–	93	बिसातखाने की दुकान	200/–
21	कृषि उपकरण की दुकान	250/–	94	कृषि उपकरण की दुकान	300/–
22	i) बिजली के सामान की दुकान (20,000/– रू0 तक) ii) बिजली के सामान की दुकान (20,000/– रू0 से ऊपर)	250/– 600/–	95	(1) बिजली के सामान की दुकान (1,00,000/– रू0 तक) (2) बिजली के सामान की दुकान (1,00,000/– रू0 से ऊपर)	500/– 1000/–
23	खाद्य तेल की दुकान	100/–	96	खाद्य तेल की दुकान	500/–
24	i) कृषि खाद की दुकान ii) कृषि पेस्टिसाईड की दुकान iii) कृषि बीज की दुकान	350/– 350/– 350/–	97	कृषि खाद, पेस्टिसाईड, बीज इत्यादि की दुकान	500/–
25	गल्ले के थोक व्यापारी	1100/–	98	क्रमांक 82(1) मे अंकित	
26	इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी	1200/–	99	क्रमांक 80(2) मे अंकित	
27	i) लकड़ी के फर्नीचर के व्यापारी ii) लकड़ी के फर्नीचर के व्यापारी 50,000/– से ऊपर	250/– 600/–	100	क्रमांक 80(1) मे अंकित	
28	मरम्मत मोटर एवं अन्य वाहन (जहां पर किसी शक्ति चालित यंत्र का प्रयोग न हो)	250/–	101	मरम्मत मोटर एवं अन्य वाहन (जहां पर किसी शक्ति चालित यंत्र का प्रयोग न हो)	300/–
29	ईंधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी	300/–	102	क्रमांक 80(4) मे अंकित	
30	पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता	150/–	103	पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता	200/–
31	चाट	100/–	104	चाट	200/–
32	लाउड स्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग	350/–	105	लाउड स्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग	400/–
33	i) बारबर (खोखे/खुली दुकान) ii) बारबर सैलून	100/– 250/–	106	(1) बारबर (खोखे/खुली दुकान) (2) बारबर सैलून	250/– 500/–
34	डीजल मोबाईल पेट्रोल तथा उनके बने पदार्थों के विक्रेता	500/–	107	डीजल मोबाईल पेट्रोल तथा उनके बने पदार्थों के विक्रेता	600/–
35	आइसक्रीम, कुल्फी	100/–	108	आइसक्रीम, कुल्फी	200/–
36	क्रमांक 5 पर अंकित	–	–		
37	i) हकीम, वैद्य तथा होम्योपैथिक डॉक्टर, आर.एम.पी. व अन्य ii) ऐलोपैथिक डॉक्टर	800/– 1200/–	109	(1) हकीम वैद्य तथा होम्योपैथिक डॉक्टर/क्लीनिक व अन्य (2) आयुर्वेदिक डॉक्टर/क्लीनिक (3) दन्त चिकित्सक/क्लीनिक (4) एलोपैथिक डॉक्टर/क्लीनिक (5) फिजियोथैरेपी सेन्टर (6) योगा क्लास/फिटनेस सेन्टर इत्यादि (7) पशु चिकित्सक/क्लीनिक प्राईवेट नर्सिंग होम/अस्पताल (8) साधारण (जनरल वार्ड प्रति बेड) (9) आधुनिक सुविधा युक्त (प्राईवेट वार्ड प्रति बेड) (10) सी0टी0 स्केन/ एम0आर0आई0/एक्स रे/ अल्ट्रासाउंड इत्यादि (11) नर्सिंग होम में कार्यरत प्रति डाक्टर	800/– 800/– 1000/– 2000/– 1000/– 600/– 1000/– 200/– 300/– 2200/– 1000/–
38	खल विनोली की दुकान	250/–	110	खल, विनोली, पशुआहार, फीडस्टोर इत्यादि	300/–
39	खोया बनाने की भट्टी अथवा दुकान	150/– अति. प्रति भट्टी 100/– (पृथक–2)	111	खोया बनाने की भट्टी अथवा दुकान अतिरिक्त प्रति भट्टी (पृथक–2)	200/– 100/–
40	दूध के विक्रेता	100/–	112	दुग्ध पदार्थ जैसे दूध, दही, घी, छाछ, पनीर, क्रीम, लस्सी इत्यादि	300/–
41	i) सीमेन्ट की दुकान (छोटी) ii) सीमेन्ट की दुकान 25,000/– से ऊपर	400/– 600/–	113	(1) सीमेन्ट विक्रेता की दुकान (छोटी) (2) सीमेन्ट विक्रेती की बडी दुकान 2,50,000/– से ऊपर	600/– 1000/–
42	टमटम बैलगाड़ी अथवा इनमें उपयोग में आने वाली वस्तुओं की दुकान	75/–		–	
43	मिट्टी के तेल विता	50/–	114	मिट्टी के तेल विक्रता	50/–
44	दूध से निकाले जाने वाली क्रीम की दुकान	150/–	115	क्रमांक 112 में अंकित	
45	ड्राईक्लीन की दुकान	150/–	116	ड्राईक्लीन की दुकान	200/–
46	देशी घी की दुकान	150/–	117	क्रमांक 112 में अंकित	
47	लोहार की दुकान	100/–	118	लोहार की दुकान	100/–
48	बढ़ई की दुकान	100/–	119	क्रमांक 80(5) में अंकित	

49	हार्डवेयर की दुकान	500/–	120	(1) हार्डवेयर, सेनेट्री सफाईज इत्यादि की दुकान	1000/–
				(2) सरिया की दुकान	1000/–
				(3) सिमेन्ट की दुकान	1000/–
				(4) ईट थोक विक्रेता	3000/–
				(5) ईट फुटकर विक्रेता	1500/–
				(6) रेता बजरी ईट व अन्य के कमीशन एजेन्ट	1500/–
				(7) स्टोन टाईल्स, मार्बल एवं मार्बल चाना, मार्बल कटिंग, ग्रेनाइट इत्यादि के विक्रेता	1000/–
				(8) टाईल्स विक्रेता	1000/–
				(9) रेता बजरी स्टोकिस्ट	5000/–
				(10) पी0ओ0पी0 मटीरियल विक्रेता	400/–
				(11) पत्थर, मार्बल एवं ग्रेनाइट पर मशीन द्वारा नक्काशी	1000/–
50	सामान्य मिश्रित दुकान 10,000 रू0 कम मूल्य का सामान होने पर	350/–	121	(1) सामान्य मिश्रित दुकान 1,00,000/– के सामान तक	800/–
				(2) सामान्य मिश्रित दुकान 10,00,000/– के सामान से ऊपर	800/–
51	सामान्य मिश्रित दुकान 10,000 रू0 से अधिक मूल्य का सामान होने पर	600/–	122	क्रमांक 121 में अंकित	
52	अन्य सभी प्रकार की दुकानें जिसकी कम से कम 10,000/– रू0 की वार्षिक बिक्री हो तथा एक ही मद की दुकान हो।	150/–	123	अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो एक ही मद की हों तथा यहाँ उल्लेखित न हों	300/–
53	वैण्ड वाले की दुकान	150/–	124	वैण्ड वाले की दुकान	300/–
54	डिस एन्टीना – 5 एन्टीना तक – 5 एन्टीना से ऊपर – 10 एन्टीना से ऊपर	150/– 200/– 250/–	125	डिस एन्टीना, डिस टी0वी0 सिस्टम विक्रेता	400/–
55	सम्पत्ति क्रय–विक्रय के ऐजेन्ट (Property dealers)	5000/–	126	सम्पत्ति क्रय–विक्रय के ऐजेन्ट (Property dealers)	8000/–
56	बिल्डर्स	10,000/–	127	बिल्डर्स/कन्सट्रक्शन कम्पनी	15000/–
57	जनरेटर किराये पर देने वाले	400/–	128	जनरेटर किराये पर देने वाले	400/–
58	फल सब्जी आदि के विक्रेता	250/–	129	(1) फल, सब्जी आदि के फुटकर विक्रेता	350/–
				(2) फल, सब्जी आदि के थोक विक्रेता	1000/–
59	फल के फुटकर विक्रेता	150/–	130	क्रमांक 129 में अंकित	
60	1. फोटोग्राफी 2. वीडियोग्राफी	200/– 300/–	131	(1) फोटोग्राफी	500/–
				(2) वीडियोग्राफी + फोटोग्राफी	1000/–
				(3) ड्रोन फोटोग्राफी	12000/–
61	देशी शराब की दुकान (प्रति)	10000/–	132	देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)	12000/–
62	भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर की दुकान	15000/–	133	(1)भारत निर्मित विदेशी शराब	15000/–
				(2) बीयर की दुकान	5000/–
63	बार– 1. विदेशी शराब 2. बीयर	10,000/– 8,000/–	134	बार– (1) विदेशी शराब + बीयर	12000/–
				(2) विदेशी शराब	10000/–
				(3) देशी शराब	8000/–
64	दर्जी की दुकान प्रति मशीन	75/–	135	(1) दर्जी की दुकान दो मशीन तक, दो मशीन से अधिक पर प्रति मशीन अतिरिक्त	300/– 100/–
				(2) बुटीक 02 मशीन तक दो मशीन से अधिक पर प्रति मशीन अतिरिक्त	800/– 100/–
65	हैचरिंग व्यवसाय	1000/–	136	हैचरिंग व्यवसाय	1000/–
66	मुर्गी फार्म :– (1) 1000 तक मुर्गी होने पर (2) 1000 से अधिकमुर्गी होने पर	1,000/– 2000/–	137	मुर्गी फार्म :–	
				(1) 1000 तक मुर्गी होने पर	1000/–
				(2) 1000 से 3000 तक मुर्गी होने पर	2000/–
				(3) 3000 से 5000 तक मुर्गी होने पर	3000/–
				(4) 5000 से अधिक मुर्गी होने पर	6000/–
67	सूअर पालन	1000/–	138	सूअर पालन	1000/–
69	शादी विवाह व अन्य आयोजन हेतु टैन्ट हाउस आदि सामग्री किराये पर देने की दुकान	500/–	139	शादी विवाह व अन्य आयोजन हेतु टैन्ट हाउस आदि सामग्री किराये पर देने की दुकान	1000/–
70	क्रमांक 60 (2) में अंकित	–			
71	ईट/रेते आदि के फुटकर विक्रेता	600/–	140	क्रमांक 129 पर अंकित	
72	क्रमांक 4 में अंकित	–			
74	फोटोस्टेट मशीन	150/–	141	क्रमांक 18(2) पर अंकित	
75	टेलीविजन मरम्मत	200/–	142	टेलीविजन मरम्मत	300/–
76	घड़ी मरम्मत	50/–	143	घड़ी मरम्मत	100/–
78	ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय	1000/–	144	ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय	2000/–
79	प्लास्टिक के सामान की दुकान	200/–	145	प्लास्टिक के सामान की दुकान	500/–
80	सूज मेकर एवं मरम्मत	100/–	146	क्रमांक 81(2) पर अंकित	
81	रूई धुनाई की दुकान	100/–	147	(1) रूई धुनाई, गद्दे, रजाई इत्यादि बनाने की दुकान (साधारण)	200/–
				(2) रूई धुनाई, गद्दे, रजाई इत्यादि बनाने की दुकान (मशीन द्वारा)	500/–
82	फेरी	100/–	148	फेरी/ठेला	300/–
83	फल संरक्षण इकाई	150/–	149	फल संरक्षण इकाई	200/–
84	बैंकट हाल, मैरिज हाल 1. मात्र एक समारोह आयोजन हेतु 2. एक से अधिक समारोह आयोजन हेतु	3000/– 6000/–	150	बैंकट हाल, मैरिज हाल एवं बारात घर	
				1. मात्र एक समारोह एक दिन में आयोजन हेतु	4000/–
				2. एक से अधिक समारोह एक दिन में आयोजन हेतु	7000/–

85	शो–रूम– दो पहिया शो–रूम– तीन पहिया शो–रूम– चार पहिया सबडीलर दो पहिया सबडीलर तीन पहिया सबडीलर चार पहिया वर्कशाप तीन पहिया वर्कशाप चार पहिया वर्कशाप छः पहिया व ऊपर	5,000/– 7,000/– 10,000/– 2,500/– 3,500/– 5,000/– 500/– 1,000/– 1500/–	151	शो–रूम– दो पहिया शो–रूम– तीन पहिय शो–रूम– चार पहिया सबडीलर दो पहिया सबडीलर तीन पहिया सबडीलर चार पहिया वर्कशाप तीन पहिया वर्कशाप चार पहिया वर्कशाप छः पहिया व ऊपर सर्विस सेन्टर (वाहन)	6000/– 8000/– 12000/– 3000/– 4000/– 8000/– 700/– 1200/– 1800/– 500/–
86	पी.सी.ओ., एस.टी.डी.	150/–		–	
87	नर्सिंग होम (प्रति बैड)	150/–	152	क्रमांक 109 पर अंकित	
88	टोकरी व्यवसाय	75/–	153	टोकरी व्यवसाय	75/–
89	गोदाम (कोल्ड स्टोरेज) अनाज, सब्जी, लकड़ी आदि	1100/–	154	(1) कोल्ड स्टोरेज (अनाज, सब्जी इत्यादि) (2) गोदाम/वेयरहाउस	1200/– 6500/–
90	धर्म कांटा (1) साधारण (2) कम्प्यूटराईज्ड	1,000/– 2,000/–	155	धर्म कांटा (1) साधारण (2) कम्प्यूटराईज्ड	1200/– 2500/–
91	बुटीक	200/–	156	क्रमांक 135(2) पर अंकित	
92	भूसा स्टोर	500/–	157	भूसा स्टोर	600/–
93	कोचिंग सेन्टर	500/–	158	कोचिंग सेन्टर साधारण कोचिंग सेन्टर फ्रेन्चाइज	1000/– 3000/–
94	प्लाईवुड दुकान	800/–	159	क्रमांक 80(1) पर अंकित	
95	एजेन्सीज	600/–	160	एजेन्सीज कोई भी	1200/–
96	ड्राइविंग सेन्टर	600/–	161	ड्राइविंग लर्निंग सेन्टर	1000/–
97	शिल्प कला, काष्ठ कला उद्योग	150/–	162	क्रमांक 80(8) पर अंकित	
99	सांइस प्लान्ट	3,000/–	163	सीवृस प्लान्ट	3000/–
100	गैस एजेन्सीज	800/–	104	गैस एजेन्सीज	1500/–
102	वेल्डिंग मशीन पावर	500/– 50/– प्रति मशीन अति	105	वेल्डिंग मशीन पावर प्रति मशीन अतिरिक्त	1000/– 50/–
104	कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	500/–	106	कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	700/–
105	कम्प्रेशर	400/–	107	कम्प्रेशर	500/–
106	रजाई गद्दे 1. मशीन द्वारा 2. हाथ द्वारा	400/– 75/–	108	क्रमांक 147 पर अंकित	
107	[illegible] दुकान	300/–	169	क्राकरी दुकान	500/–
108	मार्बल दाना दुकान कटिंग मशीन	[illegible] 160/–	[illegible]	[illegible] पर अंकित	
109	स्टोन टाईल्स दुकान	300/–	171	क्रमांक 120 पर अंकित	
110	जूस सेन्टर	150/–	172	जूस सेन्टर	300/–
111	कन्नी मिल	600/–	173	कन्नी मिल	600/–
112	अण्डे के थोक व्यापारी	600/–	174	अण्डे के थोक व्यापारी	1000/–
113	अण्डा फुटकर	250/–	175	अण्डा फुटकर	300/–
114	मछली पालन (प्रति तालाब)	250/–	176	मछली पालन (प्रति तालाब)	300/–
115	मिट्टी तेल डिपो	5,000/–	177	मिट्टी तेल डिपो	5000/–
116	स्टील फर्नीचर	600/–	178	क्रमांक 67 पर अंकित	
117	प्लास्टिक फर्नीचर	400/–	179	क्रमांक 67 पर अंकित	
118	एम.टी.ओ. तेल	2,000/–	180	एम.टी.ओ. तेल	2500/–
119	सनेटरी	500/–	181	क्रमांक 120 पर अंकित	
120	मोबाइल फोन आदि	600/–	182	क्रमांक 21 पर अंकित	
121	गन्ने का रस विक्रेता (छोटा कोल्हू)	150/–	183	गन्ने का रस विक्रेता (छोटा कोल्हू)	200/–
122	घड़ी, रेडियो, टेप, टेलीविजन आदि	250/–	184	क्रमांक 8 पर अंकित	
123	स्क्रीन प्रिंटिंग	400/–	185	क्रमांक 75 पर अंकित	
124	फेरी 1. दोपहिया वाहन द्वारा 2. चौपहिया वाहन द्वारा	250/– 500/–	186	फेरी (1) दो पहिया वाहन द्वारा (2) चौपहिया वाहन द्वारा	300/– 600/–
125	शराब के गोदाम 1 F.L.1 (वियर हाउस) 2. F.L.2 देशी शराब 3. अंग्रेजी 4. बीयर	 50,000/– 30,000/– 40,000/– 15,000/–	187	शराब के गोदाम/वेयर हाउस (1) अंग्रेजी (2) देशी (3) बीयर	 40000/– 30000/– 15000/–
126	कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी	5,000/–	188	कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी	6500/–
127	कोल्ड ड्रिंक्स के फुटकर व्यापारी	250/–	189	कोल्ड ड्रिंक्स के फुटकर व्यापारी	400/–
128	मिनरल वाटर फैक्ट्री/थोक	5,000/–	190	मिनरल वाटर फैक्ट्री/थोक	6500/–
129	मिनरल वाटर फुटकर	250/–	191	मिनरल वाटर फुटकर	400/–
130	पालीहाउस प्रति (फ्लोरीकल्चर, नर्सरी)	500/–	192	पालीहाउस प्रति (फ्लोरीकल्चर, नर्सरी)	600/–
131	ब्यूटी पार्लर	250/–	193	ब्यूटी पार्लर व गिफ्ट आइटम	500/–
132	टैन्ट हाउस (प्रति)	200/–	194	क्रमांक पर अंकित	
133	गिफ्ट आइटम	150/–	195	गिफ्ट आइटम	300/–
134	डाग फार्म	500/–	196	डॉग फार्म	800/–
135	क्रमांक 130 में अंकित	–	–		
136.	रेता बजरी स्टाकिस्ट	2,000/–	197.	क्रमांक 193 पर अंकित	
137.	रेता ढोने वाले ट्रक, ट्रैक्टर, डम्फर, आदि	10 रुपये प्रति वाहन	198	रेता ढोने वाले ट्रक, ट्रैक्टर, डम्फर, आदि	20 रुपये प्रति वाहन प्रतिदिन
138.	रेता ढोने वाल जीप, यूटिलिटि, टिम्पर आदि	5 रुपया प्रतिवाहन	199	रेता ढोने वाल जीप, यूटिलिटि, टिम्पर आदि	10 रुपया प्रति वाहन प्रतिदिन

139.	टूर एण्ड ट्रेवल्स ऐजेन्सी	1000/–	200	टूर एण्ड ट्रेवल्स ऐजेन्सी	2000/–
140.	डी0जे0	500/–	201	डी0जे0	600/–
142.	मिट्टी की मूर्ति के निर्माता	500/–	202	मिट्टी की मूर्ति के निर्माता	500/–
143.	आरा मशीन प्रति	3,000/–	203	आरा मशीन प्रति	5,000/–
144.	धातु के बर्तन बनाने वाला	1500/–	204	धातु के बर्तन बनाने वाला	2000/–
146.	स्पोर्टस के सामान की दुकान	200/–	205	क्रमांक 62 पर अंकित	
147.	मोबाइल फोन मैकेनिक	200/–	206	मोबाइल फोन मैकेनिक	300/–
150.	निजी पशुचिकित्सक (पंजीकृत)	500/–	207	क्रमांक 109 पर अंकित	
				नये व्यवसाय	
			208	मल्टी प्लेक्स	8000/–
			209	जन–औषधि केन्द्र	500/–
			210	वॉटर पार्क/थीम पार्क इत्यादि	2000/–
			211	स्पोर्टस ऐकेडेमी	2000/–
			212	पुराने दो पहियां वाहन विक्रेता	1000/–
			213	पुराने चार या अधिक पहियां वाहन विक्रेता	2500/–
			214	बर्फ शिल्ली विक्रेता	200/–
			215	पंतजली उत्पाद स्टोर	600/–
			216	मोबाईल कैन्टीन फूड वैन द्वारा व्यवसाय	800/–
			217	अन्य व्यवसाय जो उपविधि में वर्णित नही है।	
				अति सामारण व्यवसाय	200/–
				छोटा व्यवसाय	500/–
				बड़ा व्यवसाय	1500/–

11–(1) समस्त जनपद नैनीताल के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों हेतु संशोधित उपनियमों के तहत लाईसेन्स स्वय लेना अनिवार्य है और यह पूर्ण रूप से लाईसेन्सधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी दशा में या किसी भी नये व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व जिला पंचायत, नैनीताल से लाईसेन्स प्राप्त कर ले। लाईसेन्स धारी को चालू वर्ष के माह 30 सितम्बर तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत से लाईसेन्स निर्गत/नवीनीकरण किया जायेगा। 30 सितम्बर तक लाईसेन्स धारी द्वारा लाईसेन्स हेतु स्वय लाईसेन्स का नवीनीकरण न कराने की दशा में उसी वर्ष के माह अप्रैल से प्रतिमाह 10/– रूपये की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। इस विलम्ब शुल्क की दर लाईसेन्स प्राप्त करने की तिथि तक देय होगी। 10/– रूपये प्रतिमाह की विलम्ब शुल्क 200/– रूपये से कम धनराशि वाले लाईसेन्सों हेतु मान्य होगा। 200/– रूपये से अधिक 500/– रूपये तक लाईसेन्सों हेतु 15/– रूपये विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर 501/– रूपये से अधिक 1000/– रूपये तक लाईसेन्सों हेतु 25/– रूपये विलम्ब शुल्क, 1001/– रूपये से 2000/– रूपये तक लाईसेन्सों हेतु 30/– रूपये विलम्ब शुल्क 2001/– रूपये से 5000/– रूपये तक लाईसेन्सों हेतु 40/– रूपये विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर से लाईसेन्स लेने की तिथि तक देय होगा। यह विलम्ब शुल्क 30 सितम्बर तक लाईसेन्सधारी द्वारा स्वयं लाईसेन्स न लेने पर उस चालू वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा। लाईसेन्स धारियों को पुनः यह स्पष्ट किया जाता है, कि नये व्यवसाय हेतु लाईसेन्स लेना व पुराने लाईसेन्सों का नवीनीकरण कराना लाईसेन्स धारी का उत्तरदायित्व होगा। अन्यथा 30 सितम्बर के बाद लाईसेन्स के साथ जो विलम्ब शुल्क की वसूल की जायेगी, उसका पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व भी लाईसेन्सधारी का होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चालान की कार्यवाही होने की दशा में विधिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल में निहित होगा।

11–(1) समस्त जनपद नैनीताल के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों हेतु संशोधित उपनियमों के तहत लाईसेन्स स्वय लेना अनिवार्य है और यह पूर्ण रूप से लाईसेन्सधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी दशा में या किसी भी नये व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व जिला पंचायत, नैनीताल से लाईसेन्स प्राप्त कर ले। लाईसेन्स धारी को चालू वर्ष के माह 30 सितम्बर तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत से लाईसेन्स निर्गत/नवीनीकरण किया जायेगा। 30 सितम्बर तक लाईसेन्स धारी द्वारा लाईसेन्स हेतु स्वय लाईसेन्स का नवीनीकरण न कराने की दशा में विलम्ब शुल्क निम्नानुसार उसी वर्ष के माह अप्रैल से देय होगा :–

विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी :–

लाइ0 शुल्क	विलम्ब शुल्क
500.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	10.00 रू0 प्रतिमाह
500.00 रू0 से अधिक 1500.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	20.00 रू0 प्रतिमाह
1500.00 रू0 से अधिक 3000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	30.00 रू0 प्रतिमाह
3000.00 रू0 से अधिक 5000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	50.00 रू0 प्रतिमाह
5000.00 रू0 से अधिक 8000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	80.00 रू0 प्रतिमाह
8000.00 रू0 से अधिक 15000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	150.00 रू0 प्रतिमाह
15000.00 रू0 से अधिक 20000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	200.00 रू0 प्रतिमाह
20000.00 रू0 से अधिक 25000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	250.00 रू0 प्रतिमाह
25000.00 रू0 से अधिक 30000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	300.00 रू0 प्रतिमाह
30000.00 रू0 से अधिक 40000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	400.00 रू0 प्रतिमाह
40000.00 रू0 से अधिक 50000.00 रू0 तक प्रतिवर्ष	500.00 रू0 प्रतिमाह
50000.00 रू0 से अधिक	500.00 रू0 प्रतिमाह

विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर से लाईसेन्स लेने की तिथि तक देय होगा। यह विलम्ब शुल्क 30 सितम्बर तक लाईसेन्सधारी द्वारा स्वयं लाईसेन्स न लेने पर उस चालू वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा। लाईसेन्स धारियों को पुनः यह स्पष्ट किया जाता है, कि नये व्यवसाय हेतु लाईसेन्स लेना व पुराने लाईसेन्सों का नवीनीकरण कराना लाईसेन्स धारी का उत्तरदायित्व होगा। अन्यथा 30 सितम्बर के बाद लाईसेन्स के साथ जो विलम्ब शुल्क की वसूल की जायेगी, उसका पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व भी लाईसेन्सधारी का होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चालान की कार्यवाही होने की दशा में विधिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल में निहित होगा।

जिला पंचायत, नैनीताल के लाईसेन्स शुल्क बकायादारों के विरूद्ध किसी क्षेत्राधिकार युक्त मा0 न्यायालय में चालान/भू राजस्व की भाँति लाईसेन्स शुल्क वसूली की जायेगी। विधिक शुल्क व राजस्व संग्रहण शुल्क बकाया लाईसेन्स शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार देय होगा।

क्रम सं0	लाईसेन्स शुल्क वसूली का माध्यम	दर
1.	क्षेत्राधिकार युक्त मा0 न्यायालय में योजित चालान के माध्यम से वाद शुल्क	
	(क) योजित चालान की धनराशि 3000/– रूपये तक विधिक शुल्क	300/– प्रतिवाद
	(ख) योजित चालान की धनराशि 3000/– रूपये से अधिक होने पर विधिक शुल्क	10 प्रतिशत प्रतिवाद
2.	मालगुजारी के रूप में भू–राजस्व की भाँति संग्रहण शुल्क प्रतिवाद	10 प्रतिशत

नोट :– उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 163 क(1) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टकर हो"।

दण्ड

कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय व्यवसायी/संस्था/फर्म/ठेकेदार उक्त निर्गत उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा –

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात –

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लंघन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जावेगी,

अर्थात –

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लंघन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

ओमकार सिंह,
निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/236–भाग 1–क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2023 ई0 (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम लक्की से बदलकर आदित्य सिंह कर लिया है भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी कुमारगांव पट्टी दुंगमन्दार टिहरी गढ़वाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजेश सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
निवासी कुमारगांव पट्टी दुंगमन्दार
टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

नगर पंचायत शक्तिगढ़, उधम सिंह नगर

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2022 ई0

पत्रांक–316/से0मै0क0–उपविधि/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0 –10/2015 दिनांक 10–12–2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खंड झ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत शक्तिगढ़, (ऊ0सिं0नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 03/09/2021 के प्रस्ताव सं0 01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियम करने हेतू प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, विशेष फर्म उद्योग को कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो वे इस विज्ञापित की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत शक्तिगढ़ में प्रस्तुत कर सकता है, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझावं पर किसी भी दशा में विचार नही किया जा सकेगा | जो निम्नवत है:-

<u>परिभाषा :-</u>

1 <u>संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख</u> :- यह उपनियम नगर पंचायत शक्तिगढ़'' प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेंट'' उपनियम- 2021, नियमवाली कहलायेगी, जो कि विज्ञापित सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी | यह उपनियम नगर पंचायत शक्तिगढ़ की सीमा के भीतर लागू होंगे |

2 <u>नगर पंचायत</u> - नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ के परिसीमन 2018 के उपरांत 07 वार्डो की सीमा से है |

3 <u>अधिशासी अधिकारी</u> – अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ के कार्य पालक अधिकारी से है |

4 <u>अध्यक्ष – अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से है, बोर्ड के कार्यालय समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी से है |</u>

5 <u>सेप्टेज मैनेजमेंट सेल-</u> सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियो के समहू की एक गठित इकाई से है, जो कि सेप्टेज मैनेजमेंट सेल कहलायेगा | जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी सितारगंज होंगे तथा अधिशासी अभियंता पेयजल निगम, अधिशासी अभियंता कुमायूं जल संस्थान तथा अधिक्षक, सा0स्वा0 केंद्र सितारगंज एवं अवर अभियंता, नगर पंचायत शक्तिगढ़ नामित सदस्य होंगे |

1 प्रसंग :- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतू कुशल प्रभंधन की आवश्यकता है | यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध के मामलो में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक गढढे शोचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि श्रोत को प्रदूषित न करे |

<u>1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीति:-</u>

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है । राष्ट्रीय फीकल स्लेज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय

शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरुस्त और जीवित बने रहे एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फोकल रेलज और सेप्टेज प्रबन्धक , ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है , ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एकवास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें ।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल :-

माननीय एन०जी०टी० के आदेश स०- 10 / 2005 दिनाँक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है । जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में हैं । उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा , यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें । उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें और इस उद्धदेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पंचायत शक्तिगढ़ की होगी । उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 / नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है । ताकि इसका अनुपालन शहरों / नगरों में हो सकें । आदेष सं 0 597 / (iv (2) - ष 0 वि0-2017-50 (सा ०) / 16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहै जो कि एकत्रीकरण परिवहन , उपचार , सैप्टिज / फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके । इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है । कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत शक्तिगढ पेयजल निगम जल संस्थान होगें ।

2- नगरीय उपकानून / फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरण:- सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा 0 सं0-597 / (iv (2) - श ० वि०-2017-50 (सा ०) / 16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय -2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत शक्तिगढ़ नियमित ढाचा रिक्त करने एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है । फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहाँ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत शक्तिगढ़ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है ।

3- उद्देष्य एवं कार्यक्षेत्र इस नियमावली के उद्देष्य एव कार्य निम्नवत है :- 1- निर्माण सैप्टिक टैक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाब जो कि स्लेज और सेप्टेज से सम्बन्धित

2 क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैक ओर शौचालय के गढ़ढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सके ।

3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4 लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है ।

5 निजि और गैरसरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4 एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द - बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना ।

4 (1) सैप्टिक टैंक ओर सैप्टज / फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना :-

• सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है , उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार -2 के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये . • जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना / मैकेनिकल वैक्यूम टैकर का उपयोग (जो नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैक का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये। ...सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें ।

4 (2) सैप्टज / फिकल स्लज का परिवहन :- कि 1- फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा समय -2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस ० एम ० सी ०) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे ।

(2) फिकल स्लज ओर सैप्टज फिकल निर्माता यह आष्वासन देगें कि :- (अ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा । ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगें । (ब) कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा । 4 (3) सैप्टज का निष्पादन और इलाज - राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पंचायत शक्तिगढ़ की अपनी एक ईकाई होगी , जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।

5- सुरक्षा उपाय :- (1) उचित तकनीकि संयंत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहिये ।

(2) फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रान्सपोर्टर यह सुनिष्चित करें

(अ)समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोकिन , लोयस , रबर बूट , चेहरे का मास्क , आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है ।

(ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायें ।

(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये । प्रथम सहायता किट गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते है , इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है ।

(य) सैप्टिक टैक पिट लैट्रिन में काम चल रहा है । उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है ।

(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढढे में प्रवेश नहीं करेगें । ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगें जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है ।

(ल) बच्चो को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जाये ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतू है| या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे|

6- सेपटेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन:-

6.1 नगर पंचायत शक्तिगढ़ परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेंस निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पूर्व यह आशांवित करेगा | यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है| तथा मानको के

अनुरूप है सेपटेज़ ट्रांसपोटर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतू नगर पंचायत शक्तिगढ़ के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व् पेर्मित्प्रप्त्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न करना होगा|

6.2 नगर पंचायत शक्तिगढ़ सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेपटेज़ ट्रांसपोटर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा | जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेपटेज़ के प्रयोजन हेतू अनुमन्य है| जब तक कि इसका पंजीकरण सेपटेज़ ट्रांसपोर्टशन व्हीकल एसएमसी के साथ इन प्रोतोकालो में पंजीकृत नही है|

सारणी-1 पंजीकरण व्यय

अ- प्रारम्भिक पंजीकरण-	रु0 2,000=00 प्रतिवाहन/ गाड़ी
ब- वार्षिक नवीनीकरण-	रु0 1,500=00 प्रतिवाहन/ गाड़ी
स- नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन-	रु0 1,000=00 प्रतिवाहन/ गाड़ी
द- अन्य संशोधन आवष्यकतानुसार-	रु0 1,500=00 प्रतिवाहन/ गाड़ी

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय :-

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैक और शौचालय के गढढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगरपालिका में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय -2 पर दर्शाया गया है । जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढढे परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है ।

7.2 नगर पंचायत शक्तिगढ अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय 2 इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सेप्टेज के निष्कासन हेतु

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है ।

(अ) - उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पंचायत शक्तिगढ़ के कोष में जमा किया जायेगा । जो कि सम्बन्धित भवन / सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा

(ब) - उपभोक्ता लागत को मासिक सिचाँई लागत या सम्पति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा ,करना होगा ।

सारणी- 2 उपभोक्ता लागत

क्रम स०	भवन का वर्ग	प्रतियात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्डे हेतू निर्धारित है	मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतू होगा
1	टिनशैड वाला मकान	1000=00	कम से कम 2-3 वर्ष में एकबार जब 2 टैंक होते है 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाए कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ।	50=00
2-	अन्य समस्त मकान	2500=00		100=00
3-	छुकान	2500=00		125=00
4-	सरकारी/निजि कार्यालय	2000=00		250=00
5-	बैंक	3500=00		350=00
6-	सामुदायिक शोचालय/मूत्रालय	3000=00		500=00
7-	रेस्टोरेन्ट	2000=00		500=00
8-	होटल/गेस्ट हाउस(1-10 कमरे)	3500=00		250=00
9-	धर्मशाला (1-25 कमरे)	3500=00		625=00
10-	सरकारी स्कूल/कालेज	2000=00		1000=00
11-	निजि स्कूल/कालेज	2500=00		500=00

12-	20 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000=00		625=00
13-	विवाह हाल/बैंकट हाल	3500=00		1100=00
14-	बार	3500=00		625=00
15-	सरकारी होस्पिटल	3000=00		625=00
16-	नर्सिंग होम/ क्लीनिक	3000=00		500=00
17-	पैथोलाजी लैब	3000=00		500=00
18-	निजि अस्पताल 20 बैड तक	3500=00		500=00
19-	चावल मिल/अन्य मिल	3500=00		1750=00

नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है ,और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा निर्गत किये जायेगें । 2- मल निस्तारण समयावधि में होगा ,या जब टैक 2/3 की आपूर्ति कर देता है । (जैसा कि नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा स्वीकृत है) 3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ाई जायेगी ।

<u>8 - मैकेनिजम का निरीक्षण कियान्वयन और मजबूती देना :-</u>

81 कोई भी व्यक्ति जो कि एस ० एम ० सी ० (सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल) / नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पंचायत कोष में जमा होगी ।

8.3 नगर पंचायत शक्तिगढ़ क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय -2 पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी । जो कि सैप्टिक टैंक ,बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण ,मशीनरी परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज ।

<u>सारणी- 3 दण्ड</u>

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे बार पकड़ी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1-	लोगो की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500=00	5000=00	तिन महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निस्तारण
2-	सेप्टेज / फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में	1000=00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना ।	
3-	पंजीकरण न करना / पंजीकरण का नवीनीकरण न करना।	1000=00	2000=00	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतू 3 महीने के लिए परमिट को स्तगितकरना / परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना

शास्ति / दण्ड

नगर पंचायत शक्तिगढ़ (ऊधम सिंह नगर) की सीमान्तर्गत ' प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट " के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं०-10 / 2015 दिनाँक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा , दोष सिद्ध पाये जाने पर रू 0 5.000-00 (पाँच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू 0 5,000 = 00 (पाँच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू 0 100 = 00 (एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा । अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा । उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे - खर्चे की वसूली भू - राजस्व की भाँति वूसल की जायेगी । विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला- ऊधम सिंह नगर होगा ।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत शक्तिगढ़,
उधम सिंह नगर।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक,
नगर पंचायत शक्तिगढ़,
उधम सिंह नगर।

कार्यालय नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप नियमावली–2023

17 मार्च, 2023 ई0

पत्रांक 196/ठो0अप0प्रब0उप0/2022–23/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ),15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर की विशेष बैठक दिनांक 30–01–2023 में प्रस्ताव सं0–01 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर पालिका अधिनियम की धारा 300(1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था। जिस पर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये उप–नियम नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर ठोस अपषिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2023 कहलाएंगे।

(2) ये उप–नियम नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप–नियम नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:–

(क) "बल्क उघान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग,टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू, एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर का प्रशासक/अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/ अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत गरूड़ द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई–कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है;

(ठ) "कूडा–कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(त) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पंयायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल।

(र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विषेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें।

(ल) "खाली प्लाट " का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो।

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2

ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहित करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर के निर्देशों के अनुसार पृथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो मेंः–

(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए नगर पंचायत, गरूड़ द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः–

हराः– जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

कालाः– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा श्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पंचायत गरूड़ द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान पंचायत गरूड़–बागेश्वर की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का श्रोत पर पृथक्करण हों, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेंगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत के भागीदारी से, कचरे का श्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से उपयोग की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान स्वंय करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंयायत श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्त्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3
ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः–

(i) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्व क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और यदि नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर की वेबसाइट हो तो उस पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अपशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने के प्रबंध किए जाएगे।

(iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अपशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई

की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात वाहन/होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड(iv) और (v) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी यदि नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर की वेबसाइट हो तो उस पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई

जाएगी और यदि नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर की वेबसाइट हो तो उस पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा (नीला रंग)

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा (हरा रंग)

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा (काला रंग)

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:–

हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए नीला: गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए

काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता के अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन

कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रिसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रिसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बेच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5
ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम,2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई का प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii)ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(xvi)परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvii)एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xvx)नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(i) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनषील अंष के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देश:–

(i)नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान –

नगर पंचायत अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्व ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–

(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अथवा अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि उपयोगकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित उपयोगकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 05 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :–

(क) एसडब्लूएम नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी एंव उनके द्वारा नामित कर्मचारी, सब इन्स्पेक्टर, चौकी,थाना प्रभारी होगें तथा मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9
प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–

(i) कूडा फेकने पर पाबंदी –

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत गरूड़ से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर के सम्बद्व नामित अधिकारी/कर्मचारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क)नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख)यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग)यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत गरूड़ निम्नांकित कार्यवाही कर सकता है :–

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना

(ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क)डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत गरूड़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर के दायित्व :

(i) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हों।

(ii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi)नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii)नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii)नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix)नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(ग) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रैनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच : अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिंश्चित करने के लिए नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर यदि अपनी वेबसाइट हो तो अथवा प्रचार–प्रसार के माध्यम से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पंचायत गरूड़ अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क

क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में) प्रतिमाह	
		जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत्र पर ही अलग–अलग देने पर (रू0)	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कुड़ा देने पर (रू0)
1	2	5	6
1.	आवासीय भवन , प्रतिपरिवार	20 प्रतिमाह	30प्रतिमाह
2	सब्जि एवं फल विक्रेता	100 प्रतिमाह	150प्रतिमाह
3.	मांस एवं मछली विक्रेता	200 प्रतिमाह	250 प्रतिमाह
4	रेस्टोरेन्ट चाय समोसा बिस्कुट आदि भोजनालय/मिठाई की दुकान होटल के अन्दर रैस्टोरैन्ट	50 प्रतिमाह 100 प्रतिमाह 200 प्रतिमाह	75 प्रतिमाह 150 प्रतिमाह 300 प्रतिमाह
5	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस 1 से 20 बैड	100 प्रतिमाह	150 प्रतिमाह

	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस 21 से 40 बैड	150 प्रतिमाह	200 प्रतिमाह
	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस 41 से अधिक	200 प्रतिमाह	250 प्रतिमाह
6	धर्मशाला	00	00
7	बरातघर (चेरिटेबिल) बरातघर (नॉन–चेरिटेबिल)	1000 प्रति उत्सव 2000 प्रति उत्सव	1200 प्रति उत्सव 3000 प्रति उत्सव
8	बेकरी	150 प्रतिमाह	200 प्रतिमाह
9	कार्यालय/बैक/अन्य संस्थान 50 कर्म0 तक 51 से 100 तक 101 से 300 तक 301 से अधिक	100 प्रतिमाह 200 प्रतिमाह 300 प्रतिमाह 400 प्रतिमाह	150 प्रतिमाह 250 प्रतिमाह 400 प्रतिमाह 500 प्रतिमाह
10.	स्कूल/ शिक्षण संस्थाएं (आवासीय) 1 से 100 बेड तक 101 से अधिक पर	300 प्रतिमाह 350 प्रतिमाह	350 प्रतिमाह 400 प्रतिमाह
11	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	00	00
12	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर) 1 से 20 बैड तक 21 से 40 बैड तक 41 से 100 बैड तक 101 से अधिक पर	 250 प्रतिमाह 500 प्रतिमाह 1000 प्रतिमाह 1500 प्रतिमाह	 300 प्रतिमाह 600 प्रतिमाह 1500 प्रतिमाह 2000 प्रतिमाह
13	क्लीनिक/पैथोलोजी (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर) क्लीनिक पैथोलाजी	 75 प्रतिमाह 200 प्रतिमाह	 100 प्रतिमाह 300 प्रतिमाह
14	फैक्ट्री	200 प्रतिमाह	300 प्रतिमाह
15.	वर्कशॉप	200 प्रतिमाह	250 प्रतिमाह
16.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	100 प्रतिमाह	200 प्रतिमाह
17	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो प्रतिदिन	500 प्रतिमाह	700 प्रतिमाह
18	सिनेमा हाल/मल्टीप्लेक्स	200 प्रतिमाह	300 प्रतिमाह
19	प्राईवेट शिक्षण संस्थाये 1 से 100 विद्यार्थी तक 101 से 500 तक 501 से 100 तक 1001 से 1500 तक 1501 से 3000 तक	 100 प्रतिमाह 500 प्रतिमाह 1000 प्रतिमाह 1500 प्रतिमाह 2500 प्रतिमाह	 150 प्रतिमाह 600 प्रतिमाह 1200 प्रतिमाह 1700 प्रतिमाह 5000 प्रतिमाह
20	मॉल/बिग बाजार	800 प्रतिमाह	1000 प्रतिमाह
21	बार	500 प्रतिमाह	800 प्रतिमाह

उपयोगकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में उपयोगर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची–2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जन्रेटर	200 500
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय	4000
			फिस,मीट विकेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1. कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पेशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्घनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। 2000
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200
			गैर–आवासीय/बल्क जनरेटर	1000

3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000
			गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर	5000
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	1000
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	1000
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	10,000
			बजार एसोसिएशन,संघ	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10,000
			रेस्टोरेंट	5000

11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर /स्वामी	25000
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	25,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पालिका की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशनियों, सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्श न आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

अनुसूची–2
जुर्माना / दंड

क्र सं	नियम / उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जन्रेटर	200 500
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय	4000
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक / गली में 1. कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पेशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्घनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। 2000
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200
			गैर–आवासीय / बल्क जनरेटर	1000
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000
			गैर–आवासीय / बल्क जनरेटर	5000

4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	1000
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	1000
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	10,000
			बजार एसोसिएशन,संघ	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10,000
			रेस्टोरेंट	5000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर /स्वामी	25000 स्रोत

		उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन		
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	25,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पालिका की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशनियों, सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्श न आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

उपरोक्त के अतिरिक्त जी0एस0टी0 व अन्य कर देय होगें।

राजेश कुमार जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर।

राजकुमार पाण्डे,
प्रशासक,
नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर।

अनुराधा पॉल,
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/236–भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।